

18

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण  
संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अनुदानों की मांगें  
(2022-23)

अठारहवाँ प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943(शक)

(i)

## अठारहवाँ प्रतिवेदन

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण  
संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अनुदानों की मांगें  
(2022-23)

22.03.2022को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।  
22.03.2022को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

(ii)

विषय - सूची

समिति की सरंचना.....		पृष्ठ सं.
		(iv)
प्राक्कथन .....		(v)
<b>विभाग की सिफारिशों का कार्यान्वयन</b>		
<b>(vi)</b>		
अध्याय - एक	प्रस्तावना	<b>1</b>
अध्याय - दो	विभाग का वित्तीय कार्य निष्पादन	<b>4</b>
	<b>बजटीय प्रावधान और व्यय</b>	
अध्याय - तीन	खाद्य का प्रबंधन	<b>18</b>
	खाद्यान्नों की खरीद और विकेन्द्रीत खरीद	18
	खाद्य राजसहायता – नियमित/एनएफएसए के अंतर्गत	21
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का एकीकृत प्रबंधन	25
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)	31
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत चावल का फोर्टिफिकेशन और वितरण	34
अध्याय - चार	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)	<b>37</b>
	भारतीय खाद्य निगम की देयताएं और दायित्व	37
	भारतीय खाद्य निगम की संस्थापना लागत	41
	भंडार की क्षमता	45
	(एक) भंडारण गोदामों का निर्माण	45
	(दो) भंडारण और मार्गस्थ हानियां	49
	(तीन) साइलोज का निर्माण	54
अध्याय - पांच	चीनी क्षेत्र का प्रबंधन	<b>60</b>
	चीनी का उत्पादन	60
	एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एथनॉल का उत्पादन	64
	गन्ना मूल्य बकाया	70
	रूग्ण चीनी ईकाइयाँ	72
	<b>परिशिष्ट</b>	
एक.	समिति की 24.02.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	75
दो.	समिति की 16.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	79
तीन.	समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें/टिप्पणियां	81

(iii)

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की संरचना@

**श्री सुदीप बन्दोपाध्याय, सभापति**

**लोक सभा**

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
4. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
5. श्री जी.एस. बसवराज
6. श्रीमती देबाश्री चौधरी
7. श्री सत्री देओल
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री जी. सेल्वम
10. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
11. श्री कराडी सगन्ना अमरप्पा
12. श्री खगेन मुर्मु
13. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
14. श्री सुब्रत पाठक
15. श्रीमती हिमाद्री सिंह
16. श्रीमती कविता सिंह
17. श्री नंदीगम सुरेश
18. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
19. श्री राजमोहन उन्नीथन
20. श्री वी. वैथिलिंगम
21. रिक्त\*

**राज्य सभा**

22. श्री सतीश चंद्र दुबे
23. श्रीमती रूपा गांगुली
24. श्री के.जी. केन्ये
25. डॉ. फौजिया खान
26. श्री हिशे लाचुंगपा
27. श्री राजमणि पटेल
28. श्री सकलदीप राजभर
29. डॉ. अंबुमणि रामादास
30. श्री रामजी
31. श्री जी.के. वसन

**सचिवालय**

- |                                 |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|
| 1. श्री शिव कुमार               | - | संयुक्त सचिव      |
| 2. डॉ. वत्सला जोशी              | - | निदेशक            |
| 3. डॉ. मोहित राजन               | - | उप सचिव           |
| 4. श्रीमती दर्शना गुलाटी खंडूजा | - | कार्यकारी अधिकारी |

@\_लोक सभा समाचार भाग-दो, संख्या 3189 दिनांक 9.10.2021 द्वारा 13.09.2021 से गठित  
\* 14.03.2022 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के पश्चात् श्री भगवंत मान सदस्य नहीं रहे।

(iv)

## प्राक्कथन

मैं, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) पर समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच/संवीक्षा की जिन्हें 09 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखा गया था। समिति ने 24 फरवरी, 2022 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

3. समिति विषय के संबंध में उसके समक्ष सामग्री प्रस्तुत करने और अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में अपेक्षित जानकारी उसे प्रस्तुत करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है।

4. समिति ने 16 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के मुख्य भाग में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

**नई दिल्ली;**

**16 मार्च, 2022**

**25 फाल्गुन, 1943 (शक)**

**सुदीप बंदोपाध्याय**

**सभापति,**

**खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक  
वितरण संबंधी स्थायी समिति।**

## समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों के संबंध में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति (2021-22) का नौवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) 19.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में 12 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

समिति के मूल प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 73-क के अंतर्गत प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर संबंधित मंत्री को वक्तव्य देना होता है। नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के संदर्भ में निदेश 73-क के अंतर्गत उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 03.08.2021 को लोक सभा में और 06.08.2021 को राज्य सभा में वक्तव्य दिया।

नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से 17.06.2021 को प्राप्त की-गई-कारवाई टिप्पणों के आधार पर समिति ने की-गई-कारवाई प्रतिवेदन को 07.12.2021 को संसद में प्रस्तुत किया। समिति ने चौदहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के पैरा संख्या 1.7, 1.10, 1.13, 1.16, 1.19 और 1.22 में दी गई सिफारिशों के संबंध में विभाग द्वारा भेजे गए की-गई-कारवाई टिप्पणों पर टिप्पणी की थी। की-गई-कारवाई टिप्पणों के विश्लेषण से पता चला कि सरकार ने समिति की 58.34% सिफारिशें स्वीकार की हैं। समिति ने 33.33% सिफारिशों पर आगे कार्यवाही नहीं करने की इच्छा व्यक्त की। 8.33% सिफारिशों के उत्तर अंतरिम प्रकृति के थे।

समिति नोट करती है कि समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर सरकार ने विहित तीन माह की अवधि के भीतर दे दिए थे और निदेश 73-क के अधीन मंत्री द्वारा वक्तव्य विहित छः माह की अवधि के दौरान दे दिया गया था। सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के विश्लेषण से पता चलता है कि समिति की 58.34% सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। समिति 33.33% सिफारिशों के संबंध में आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती और 8.33% सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने अंतरिम उत्तर दिए थे। समिति को आशा और विश्वास है कि विभाग भविष्य में भी निर्धारित पूर्वापेक्षाओं का अक्षरशः अनुपालन करेगा तथा समिति को सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन में जिन पर समिति ने टिप्पणी दी जानकारी देगा।

## अध्याय – एक

### प्रस्तावना

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दो विभाग हैं नामतः खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ-साथ उपभोक्ता मामले विभाग, केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रमुख कार्य हैं:-

- (i) खाद्यान्नों की खरीद, संचलन, भंडारण और वितरण से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना;
- (ii) निर्धनों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन करना;
- (iii) खाद्यान्नों के केन्द्रीय आरक्षित स्टॉक का रखरखाव करने के लिए भंडारण सुविधाओं का प्रावधान करना और वैज्ञानिक भंडारण को बढ़ावा देना;
- (iv) खाद्यान्नों के निर्यात और आयात, बफर स्टॉक रखने, गुणवत्ता नियंत्रण और विनिर्दिष्टियों से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां तैयार करना;
- (v) चावल, गेहूं और मोटे अनाज से संबंधित खाद्य राजसहायता का प्रशासन;
- (vi) चीनी और गन्ना क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामले, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण, चीनी उद्योग का विकास और विनियमन करना (चीनी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने सहित) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की आपूर्ति करना; और
- (vii) खाद्य तेलों की निगरानी, मूल्य नियंत्रण तथा आपूर्ति।

1.2 विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, नामतः (i) शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय।

चीनी प्रभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका नाम है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर।

विभाग के अधीन अन्य अधीनस्थ कार्यालय हैं, नामतः

- (i) नई दिल्ली (मुख्यालय), स्थित ग्यारह गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर,




भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, पुणे, चेन्नई, गुवाहाटी और पटना।

(ii) हैदराबाद और लुधियाना स्थित दो फील्ड स्टेशनों के साथ एक भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (आईजीएसआरआई), हापुड़ (उत्तर प्रदेश)।

1.3 इसके अलावा, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं:-


क्रम सं. (एक), (दो) एवं (तीन) तथा एक विनियामक प्राधिकरण संख्या (चार) निम्नवत् है:-

- (i) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
- (ii) केन्द्रीय भांडागारण निगम (सीडब्ल्यूसी)
- (iii) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लि. (एचवीओसी) कंपनी परिसमापन के अधीन है।
- (iv) एक विनियामक प्राधिकरण नामतः भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू डीआरए)।



1.4 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 9 फरवरी, 2022 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित विस्तृत अनुदानों की मांगों (2022-23) को लोकसभा के पटल पर रखा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों में वर्ष 2022-23 के लिए 2,25,959.58 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान दर्शाया गया है। इसमें राजस्व के लिए 2,13,929.91 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के लिए 12,029.67 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**तालिका 1: ब.अ. 2022-2023 और सं.अ. 2021-2022**



1.5 समिति ने मौजूदा प्रतिवेदन में अनुदानों की मांगों 2022-23 के संदर्भ में विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच की है। विभिन्न मुद्दों पर समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों सहित विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदन के उत्तरवर्ती पैराओं /अध्यायों में दिया गया है।

**अध्याय – दो**  
**विभाग का वित्तीय निष्पादन**

**बजटीय प्रावधान और व्यय**

जहां तक वर्ष 2021-22 के बजट की तुलना में व्यय का संबंध है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रतिनिधियों ने 24.02.2022 को हुई अपनी बैठक में समिति को निम्नवत जानकारी दी:-

**“बजट स्थिति 2020-21**

**(करोड़ रूपए में)**

<b>Section</b>	<b>BE 2021-22</b>	<b>RE 2021-22</b>	<b>AE 2021-22 (as on 23.02.2022)</b>
Revenue	2,51,248.34	2,99,363.35	2,38,524.73
Capital*	*52,725.96	*12,636.65	2,600.39
<b>Total</b>	<b>3,03,974.30</b>	<b>3,12,000.00</b>	<b>2,41,125.12 (w.r.t RE 77.28 %)</b>

*\* प्रचालनात्मक आवश्यकता के आधार पर, भारतीय खाद्य निगम में ऋण के रूप में अर्थोपाय शामिल हैं। यह अपेक्षित है कि 31 मार्च, 2022 तक बजट का पूर्णतया उपयोग किया जाएगा।*

2.2 उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व अनुभाग के अंतर्गत संशोधित अनुमानों के लिए 2,99,363.35 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में 48,115.01 करोड़ रुपये की वृद्धि शामिल है। हालांकि, वास्तविक व्यय 23.02.2022 तक 2,38,524.73 करोड़ रुपये है, अर्थात् संशोधित अनुमान 2021-22 का 79.7% है।

2.3 इसके अलावा, पूंजीगत व्यय को भी संशोधित किया गया है, जो आरई 2021-22 में 12,636.65 करोड़ रुपये (परिचालन आवश्यकता के आधार पर एफसीआई को ऋण के रूप में उपार्जन अग्रिम सहित) पर

संशोधित किया गया है, बीई 2021-22 की तुलना में 52725.96 करोड़ रुपये है। तथापि, वास्तविक व्यय 23-02-2022 तक 2600.39 करोड़ रुपये है; जो आरई का केवल 20.57% है।

2.4 दोनों खण्डों अर्थात राजस्व और पूंजी सहित 2021-22 के लिए कुल व्यय 23.02.2022 तक 2,41,125.12 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2021-22 के लिए कुल संशोधित अनुमानों का 77.28% अर्थात 3,12,000 करोड़ रुपये है।

2.5 वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित आबंटन से कम व्यय के बारे में, समिति द्वारा पूछे जाने पर, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 24.02.2022 को हुए विचार-विमर्श के दौरान समिति को निम्नवत जानकारी दी:

“महोदय, यह बजट आबंटन की तुलना में वास्तविक व्यय है। हम माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहते थे कि इस वर्ष मार्च के अंत तक 100 प्रतिशत उपलब्धि के साथ 3,12,000 करोड़ रुपये का पूरा आबंटन हो जाएगा। एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां हम व्यय नहीं कर पाएंगे, वह पूंजीगत व्यय है। आरई में, यह 12,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपये मूल रूप से उपार्जन स्थिति है। यदि हम भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो शायद हम भारतीय खाद्य निगम को यह ऋण के रूप में देंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता। हमें इस वर्ष के लिए पर्याप्त निधियां मिल रही हैं, और शायद यही तरीका है। हम समिति को आश्वासन दे सकते हैं कि इस वर्ष के लिए आवश्यक सभी धनराशि उपलब्ध होगी।”

2.6 राजस्व और पूंजीगत वर्गों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंध में समग्र आबंटन निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रु में)

	2020-21			2021-22			2022-23		
	बअ	संअ	वा. व्यय	बअ	संअ	वा. व्यय	बअ	संअ	वा. व्यय
पूंजी	51197.02	11190.72	11188.35	52725.96	12636.65	2600.24	12029.67	-	-
राजस्व	121038.4	437458.0	554244.8	251248.3	299363.35	231029.41	213929.91	-	-
कुल	172235.4	448648.7	565433.1	303974.3	312000.00	233629.65	225959.58	-	-

2.7 जब बजट अनुमान 2022-23 स्तर पर कुल राजस्व परिव्यय को संशोधित अनुमान 2021-22 की अपेक्षा 23% कम रखने के कारणों के बारे में पूछा गया, जो है, तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया:-

राजस्व अनुभाग के तहत 2021-22 के दौरान अंतिम कुल संशोधित अनुमान 299363.35 करोड़ रुपये और 2022-23 के दौरान बजट अनुमान 213929.91 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान 2022-23 में संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में 28% कम प्रावधान के प्रमुख कारण हैं:

- i) बजट अनुमान 2022-23 में पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्य सब्सिडी का प्रावधान शामिल नहीं है जो मार्च, 2022 तक है। तथापि, मार्च, 2022 से आगे के विस्तार के मामले में, अनुदानों (एसडीजी) के लिए पूरक मांगों के माध्यम से अतिरिक्त फंड की मांग की जाएगी।
- ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुछ चीनी क्षेत्र सब्सिडी योजनाएं बंद होने की संभावना है।
- iii) कुछ योजनाओं के तहत व्यय की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप "चावल के फोर्टिफिकेशन", 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना' आदि जैसे प्रावधानों में कमी आई है।

2.8 इसके अलावा, समिति ने वर्ष 2021-22 और पिछले तीन वर्षों के लिए बअ, संअ और वास्तविक व्यय चरण में कुल पूंजीगत व्यय में बड़े अंतर के बारे में पूछा। विभाग ने समिति को सौंपे गए अपने उत्तरों में बताया कि 'भारतीय खाद्य निगम के लिए उपार्जन अग्रिम'के संबंध में प्रावधानों के कारण इतना अधिक अंतर है जो कि बजट अनुमान 2021-22 में 5000 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 2021-22 में 1000 करोड़ रुपये है। हालांकि, अब तक वास्तविक अनुमान शून्य है। भारतीय खाद्य निगम को खरीद आदि के लिए उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के अनुसार "उपार्जन अग्रिम"प्रदान किया जाता है और उन्हें उसे समान वित्तीय वर्ष में चुकाना होता है। आमतौर पर, भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य सब्सिडी समाप्त होने के बाद इसका लाभ उठाया जाता है। बजट अनुमान 2021-22/संशोधित अनुमान 2021-22 के संबंध में कम व्यय खाद्य सब्सिडी के पर्याप्त प्रावधान के कारण है और इसलिए, खाद्य निगम द्वारा अब तक 'उपार्जन अग्रिम'का लाभ नहीं उठाया गया है। हालांकि, वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, अपर्याप्त खाद्य सब्सिडी निधि की ऐसी किसी भी स्थिति को पूरा करने के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 10000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 'उपार्जन अग्रिम'के प्रावधानों को छोड़कर विभाग ने पूंजी अनुभाग के तहत 31.12.2021 तक 95% व्यय प्राप्त किया है।

- (i) पूंजीगत व्यय के तहत पिछले तीन वर्षों के प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2019-20	51326.12	37250.92	1243.10
2020-21	51197.02	11190.72	11188.35
2021-22 (आज तक)	52725.96	12636.65	2600.21

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (आज तक) बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय (वास्तविक अनुमान) में भारी उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण यह है कि भारतीय खाद्य निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2021-22 में 'उपार्जन अग्रिम' का लाभ नहीं उठाया है, और अभी तक, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान से कम राशि का लाभ उठाया है।

2.9 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 2021-22 के दौरान अपनी राजस्व और पूंजीगत योजनाओं और 2022-23 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का योजना-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

## राजस्व

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं	स्कीम/परियोजना का नाम	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22	18.2.2022 के अनुसार व्यय	बजट अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में वृद्धि(+)/ कमी(-) में अंतर	% अंतर	कॉलम.6 के तहत प्रमुख अंतर के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सचिवालय(3451)	73.91	72.42	58.73	81.67	7.76	10.50	व्यय में मानक वृद्धि
2	राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (2408)	22.63	22.24	17.49	27.37	4.74	20.95	रिक्त पदों के कारण न्यूनतम वेतन और अधिक संख्या में संविदा कर्मियों में वृद्धि।
3	खाद्य भंडारण एवं वेयरहाऊसिंग के अन्य कार्यक्रम							
	(i) शर्करा निदेशालय और वनस्पति तेल (2408)	7.86	7.57	5.05	8.70	0.84	10.69	व्यय में मानक वृद्धि।
	(ii) भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (2408)	5.08	4.73	2.86	6.10	1.02	20.08	व्यय में सामान्य वृद्धि के अलावा, बजट अनुमान 2022-23 में प्रावधान में अभिकर्मक / कांच के बने पदार्थ पर व्यय और आईजीएमआरआई, क्यूसीसी और सीजीएएल के प्रयोगशाला के उन्नयन / उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विविध खर्च भी शामिल हैं।
	(iii) केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (2408)	0.02	0.02	0.02	0.14	0.12	600.00	
	(iv) गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष (2408)	7.38	6.54	4.30	8.34	0.96	13.01	
	(v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (2408)	0.67	0.72	0.39	0.75	0.08	11.94	व्यय में मानक वृद्धि।
	<b>कुल - खाद्य भंडारण और वेयरहाऊसिंग के अन्य कार्यक्रम</b>	<b>21.01</b>	<b>19.58</b>	<b>12.70</b>	<b>24.03</b>	<b>3.02</b>	<b>14.37</b>	

4	भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी (2408)	202616.00	210929.00	174500.00	145919.90	-56696.10	-27.98	बजट अनुमान 2022-23 में 2021-22 की तुलना में कमी है क्योंकि पीएमजीकेएवाई योजना (कोविड महामारी के कारण प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना) मार्च, 2022 तक है। मार्च, 2022 से आगे पीएमजीकेएवाई के विस्तार के मामले में अनुपूरक अनुदान मांगों (एसडीजी) के माध्यम से अतिरिक्त राशि की मांग की जाएगी।
5	डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी (2408)	40000.00	75290.11	45945.61	60561.19	20561.19	51.40	
6	पीडीएस के तहत देय शर्करा सब्सिडी(2408)	220.00	250.00	225.72	350.00	130.00	59.09	अतिरिक्त प्रावधान उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की भागीदारी के कारण है जो शुरू में योजना में भाग नहीं ले रही थी।
7	एनएफएसए के तहत अंतर-राज्य आंदोलन, खाद्यान्नों की हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर खर्च को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता(अनुदान) (2408)	4000.00	6000.00	4446.54	6572.00	2572.00	64.30	राज्य सरकार के नियमित दावों के अलावा, अतिरिक्त प्रावधान में पीएमजीकेएवाई के तहत फंड शामिल है जिसे संशोधित अनुमान 2021-22 में नहीं मांगा गया है।



8	चावल का फोर्टिफिकेशन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इसका वितरण (2408/3601) (केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम)							15 राज्यों की सहमति से, 11 राज्य पायलट योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित कर रहे हैं। हालांकि, इस विभाग को पायलट योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए केवल दो राज्यों से दावा अनुरोध प्राप्त हुआ। इसलिए, धीमी प्रगति के कारण, चावल फोर्टिफिकेशन पारिस्थितिकी तंत्र में परिपक्वता की कमी और कोविड - 19 महामारी की स्थिति के कारण प्रावधान कम कर दिया गया है।
		70.00	9.05	9.53	10.13	-59.87	-85.53	
9	चीनी मिलों को चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिवहन की लागत और माल ढुलाई सहित विपणन लागत पर खर्च के लिए सहायता प्रदान करने के लिए योजना।							योजना के तहत चीनी मिलों को वर्तमान चीनी सत्र के दौरान 60 लाख टन चीनी की मात्रा का निर्यात करना है। इस योजना के तहत चीनी मिलों को लगभग 3500 करोड़ रुपये की कुल सहायता मिलने का अनुमान है। चूंकि दावों को वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान ही प्राप्त और निपटाने की संभावना है, बजट अनुमान 2022-23 में कोई प्रावधान लंबित नहीं है।
		2000.00	3500.00	3011.87	0.00	-2000.00	-100.00	
10	इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और इसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम							लागू नहीं
		300.00	160.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
11	चीनी मिलों के लिए 2018-19 सत्र हेतु सहायता स्कीम							वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के समाप्त होने की संभावना के कारण, बजट अनुमान 2022-23 में कोई मांग लंबित नहीं है।
		200.00	123.00	111.11	0.00	-200.00	-100.00	

12	चीनी मिलों के लिए 2019-20 सत्र हेतु सहायता स्कीम	1000.00	2150.00	2104.58	0.00	-1000.00	-100.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के समाप्त होने की संभावना के कारण, बजट अनुमान 2022-23 में कोई मांग लंबित नहीं है।
13	आंतरिक परिवहन, माल ढुलाई, संचालन और निर्यात पर अन्य शुल्कों के लिए व्यय चुकाने की योजना।	0.00	3.20	0.68	0.00	0.00		संशोधित अनुमान 2021-22 में योजना के तहत लंबित दावों का निपटान करने का प्रावधान है।
14	चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण एवं रखरखाव हेतु स्कीम	50.00	65.00	59.50	0.00	-50.00	00.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के समाप्त होने की संभावना के कारण, बजट अनुमान 2022-23 में कोई मांग लंबित नहीं है।
15	40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक का निर्माण और रख-रखाव हेतु स्कीम।	600.00	700.00	478.33	0.00	-600.00	100.00	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के समाप्त होने की संभावना के कारण, बजट अनुमान 2022-23 में कोई मांग लंबित नहीं है।
16	चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/एसडी एफ के अन्य व्यय (चीनी विकास निधि का प्रशासन) (2408)	22.00	22.00	18.41	16.00	-6.00	-27.27	वित्त मंत्रालय ने एसडीएफ ऋणों को बंद करने का निर्देश दिया है। इसलिए, भविष्य में ऋण प्रबंधन गतिविधियों पर लागत कम होने की संभावना है। तदनुसार, बजट अनुमान 2022-23 में प्रावधान कम कर दिया गया है।
17	भंडारण और गोदाम - पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा गोदामों का निर्माण (2552/2408)	4.79	4.79	0.00	3.20	-1.59	-33.19	बजट अनुमान 2022-23 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कोई प्रक्षेपण नहीं होने और कम व्यय प्रवृत्ति के कारण प्रावधान में कमी है।
18	पीडीएस संचालन को मजबूत करना (2408/2552/3456)	8.17	1.40	0.19	2.00	-6.17	-75.52	तीन योजना घटक अर्थात् 'पीडीएस-प्रशिक्षण', 'पीडीएस मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान और 'टीपीडीएस लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करना' की योजना को वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के संदर्भ में परियोजनाओं में परिवर्तित किया गया है।

19	एकीकृत प्रबंधन-सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आईएम-पीडीएस)	25.00	25.00	18.29	40.00	15.00	60.00	वृद्धि का कारण 31.03.2023 तक योजना का प्रस्तावित विस्तार है।
----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

20	भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण	14.83	13.98	10.13	18.03	3.20	21.58	प्रावधान में वृद्धि का मुख्य कारण हैमाना जा रहा है कि 13 पद भर जाएंगी, अधिक संख्या में पंजीकरण, निरीक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम की योजना और गैर-कृषि कमोडिटी वेयरहाउस विनियमन की शुरुआत।
21	परियोजनाओं							
(क)	पीडीएस - प्रशिक्षण	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	-	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान "पीडीएस संचालन को मजबूत करने" योजना के योजना घटकों के रूप में बंद किए जाने के बाद नई खुली परियोजनाएं।
(ख)	पीडीएस-मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान	0.00	0.81	0.00	0.72	0.72	-	
(ग)	टीपीडीएस लाभार्थियों के बीच जागरूकता	0.00	1.75	0.00	3.67	3.67	-	
	कुल - राजस्व व्यय	251248.34	299363.35	231029.41	213929.91	-37318.43	-14.85	

## पूंजी

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	सूकीम/परियोजना का नाम	बजट अनुमान 2021-22	संशोधित अनुमान 2021-22	18.2.20 के अनुसार व्यय	बजट अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में वृद्धि(+) / कमी(-) में अंतर	% अंतर	कॉलम 6 के तहत प्रमुख अंतर के कारण
1	2	3	4	4क	5	6	7	8
1	भारतीय खाद्य निगम की इक्विटी में पूंजी निवेश	2500.00	2500.00	2500.00	1900.00	-600.00	-24.00	2018-19 बजट घोषणा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा भा.खानि में कुल 5000 करोड़ रुपये की इक्विटी का निवेश किया गया है। हालांकि, बजट अनुमान 2022-23 में भा.खानि की अधिकृत (10000 करोड़ रुपये) पूंजी और भुगतान की गई पूंजी (लगभग 8100 करोड़ रुपये) के बीच के अंतर को पूरा करने का प्रावधान है।
2	राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (4408)	5.75	5.55	1.48	3.80	-1.95	-33.91	बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2021-22 में कम प्रावधान संस्थान के मुख्य कार्यों को पूरा करने और प्रयोगात्मक चीनी कारखाने के आधुनिकीकरण और उपकरणों की खरीद जैसे आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय की आवश्यकता के अनुसार है।

3	भंडारण और गोदामों - पूर्वोत्तर क्षेत्र में भा.खानि द्वारा गोदामों का निर्माण (4552/2408)	40.21	10.00	0.00	20.00	-20.21	-50.26	बजट अनुमान 2022-23 में भा.खानि द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र / उत्तर पूर्व क्षेत्र राज्यों के अलावा में निर्माण कार्यों के लिए प्रावधान है और यूसीस प्राप्त करने के बाद धनराशि जारी की जाती है। बजट अनुमान 2022-23 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कोई प्रक्षेपण नहीं होने के कारण और कम खर्च की प्रवृत्ति के कारण प्रावधान में कमी है।
4	भंडारण और गोदामों- भा.खानि द्वारा गोदामों का निर्माण (4408)	15.00	0.00	0.00	10.00	-5.00	-33.33	

5	भारतीय खाद्य निगम को देय तरीके और साधन अग्रिम (6408)	50000.00	10000.00	0.00	10000.00	-40000.00	-80.00	भा.खा.नि को खरीद आदि के लिए अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के अनुसार तरीके और साधन अग्रिम प्रदान किया जाता है और समान वित्तीय वर्ष में इसे चुकाना होता है। आमतौर पर, खाद्य सब्सिडी समाप्त होने के बाद भा.खा.नि द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है। खाद्य सब्सिडी के पर्याप्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमान 2021-22 की तुलना में बजट 2022-23 में कम प्रावधान किया गया है।
6	उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण (6860)							एसडीएफ ऋण मांग पर आधारित हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई और प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, एसडीएफ ऋणों को बंद किया जाना है और संवितरण केवल उन आवेदनों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए प्रशासनिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।
	i) नी मिलों के आधुनिकीकरण/पुनर्वास के लिए ऋण।	10.00	0.00	0.00	2.10	-7.90	-79.00	
	ii) गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	5.00	1.10	0.00	4.07	-0.93	-18.60	
	iii) ईआधारित सह-उत्पादन विद्युत्परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण।	70.00	50.00	27.84	21.57	-48.43	-69.19	

	iv) अल्कोहल से निर्जल अल्कोहल या इथेनॉल के उत्पादन के लिए ऋण	80.00	70.00		41.07	-38.93	-48.66	
7	अन्य प्रतिष्ठान							

(क)	आईजीएम आरआई का विस्तार	0.00	0.00	0.00	7.16	7.16	इन नए शीर्षों के तहत क्यूसीसी/आईजीएमआरआई और सीजीएएल में प्रयोगशालाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रावधान हैं ताकि इन प्रयोगशालाओं को चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों का परीक्षण करने में सक्षम बनाया जा सके।
(ख)	सीजीएएल का विस्तार	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
(ग)	गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष प्रयोगशालाओं का विस्तार	0.00	0.00	0.00		17.90	
	कुल पूंजीगत व्यय	52725.96	12636.65	2600.24	12029.67	-40696.29	-77.18

2.10 समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व स्कीमों के लिए कुल बजट अनुमान 2,51,248.34 करोड़ रुपये था जिसको संशोधित चरण पर संशोधित करके 299363.35 करोड़ रुपये कर दिया गया था हालांकि, 23.02.2022 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक व्यय 238524.73 करोड़ रुपये अर्थात् संशोधित अनुमान 2021-22 का 77.28 प्रतिशत है। इसी प्रकार से, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पूंजीगत स्कीमों के लिए कुल वास्तविक अनुमान 52725.96 करोड़ रुपये है जिसको संशोधित अनुमान चरण पर कम करके 12,636.65 करोड़ रुपये किया गया था लेकिन 23.02.2022 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक व्यय केवल 2600.39 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, राजस्व हेतु वास्तविक अनुमान 2022-23 के लिए 213929.91 करोड़ रुपये रखा गया है अर्थात् संशोधित अनुमान 2021-22 से 28.5% कम था।

वर्ष 2022-23 के लिए, कम आवंटन हेतु विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों में पीएम-जीकेवाई के लिए निधियों का प्रावधान न करना, कुछेक सरकारी क्षेत्र स्कीमों को बंद करना, तथा कुछेक स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी प्रगति शामिल हैं। हालांकि, समिति कुछ स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी प्रगति के कारण, वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित निधियों का उपयोग करने में विभाग के सक्षम न होने को नोट कर व्यथित है। समिति को यह प्रतीत होता है कि अनुमानित परिव्यय अर्थात् वास्तविक व्यय की अनियोजित पद्धति से उत्पन्न हुई स्थिति मालूम होती है, को इसका कारण होना मानती है। विभाग की ओर से आवंटित निधियों का कम उपयोग तथा अपर्याप्त

निगरानी न केवल आरंभिक चरण को दर्शाता है बल्कि समुचित आयोजना की कमी को भी दर्शाता है। अतः समिति विभाग से यह अनुरोध करती है कि वह निधियों के समुचित तथा सही उपयोग के लिए बढ़ाई गई निगरानी के साथ व्यय हेतु बढ़ रही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी बनाए।

2.11 राजस्व योजना के अंतर्गत - एनएफएसए (अनुदान) के अंतर्गत अंतर्राज्यीय संचलन, खाद्यान्नों के हैंडलिंग, उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के लिए आबंटन निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रु में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
<b>2020-21</b>	3982.54	8000	6482.54
<b>2021-22</b>	4000	6000	3602.22 (10.02.2022तक)
<b>2022-23</b>	6572	-	-

जब संशोधित अनुमान 2021-22 की तुलना में बजट अनुमान 2022-23 में अधिक आवंटन के कारणों और निधियों के उपयोग की विधि के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नानुसार कहा: -

“वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना के तहत निधि का ब्यौरा इस प्रकार है;

(करोड़ रु में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय (10.02.2022 के अनुसार)*
4000.00	6000.00	3602.22

\*बैठक से पहले आगे संशोधित किया जाएगा

2022-23 के लिए उच्च बजट अनुमान के कारण: कोविड -19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न आवंटित कर रही है, जिसे मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत, राज्य के भीतर आवाजाही और खाद्यान्न की हैंडलिंग

और उचित मूल्य दुकान डीलरों' के मार्जिन का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस खर्च को पूरा करने के लिए, बजट अनुमान 2022-23 में अधिक निधियों की मांग की गई है।

**2.12** समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व स्कीम जिसमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता जिससे अंतर्राज्यीय आवाजाही पर होने वाला व्यय, खाद्यानों की संभलाई - एनएफएसए अनुदान के अंतर्गत एफपीएस डीलरों के लाभ को पूरा किया जाता है यह बजट अनुमान पर 4000 करोड़ रुपये था जिसको संशोधित चरण पर बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये कर दिया गया था लेकिन वास्तविक व्यय मात्र 3602.22 करोड़ रुपये ही रहा था। समिति 2022-23 के 6572 करोड़ रुपए के बजट अनुमान जिसे बढ़ाया गया था के कारणों को समझ पाने में असमर्थ है जबकि संशोधित अनुमान पर यह वर्ष 2021-22 में 6000 करोड़ रुपये था और जिसका पूरा उपयोग भी नहीं हो पाया था। समिति को यह बताया गया है कि कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार खाद्यानों का आवंटन कर रही है जिसे मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, अंतर्राज्यीय आवाजाही खाद्यांत्रों की संभलाई तथा उचित दर की दुकानों के डीलरों का मार्जिन, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस व्यय को पूरा करने के लिए, बजट अनुमान 2022-23 में अधिक निधि मांगी गई है। इस वजह से विभाग द्वारा समिति को दिए गए उत्तर से समिति पूरी तरह से सहमत नहीं है। तथापि, समितियां नोट करने को विवश है की वास्तविक अनुमान/संशोधित अनुमान/वास्तविक अनुमान चरणों पर निधियों का ऊपरी और/निचली ओर अंतर को दर्शाता है कि विभाग की ओर से समुचित आयोजना की कमी जो दिखाई गई है से भविष्य में बचा जाए। इस तथ्य को देखते हुए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है ताकि वह अंतर्राज्यीय आवाजाही खाद्यानों की संभलाई पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता को सुनिश्चित करें। समिति विभाग से पुरज़ोर रूप से अनुरोध करती है कि वह स्वतः आरंभिक चरण पर निधियों के व्यय की सख्ती से निगरानी करें ताकि आवंटित निधियों की वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतः ही समुचित रूप से निगरानी करें। इस को प्राप्त करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय एक वास्तविक और कारगर कार्य योजना तैयार करे ताकि ऐसी धनराशि को पूरे वर्ष समान रूप से उपयोग कर सके।



## अध्याय तीन

### खाद्य प्रबंधन

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान्नों के खरीद, परिवहन, वैज्ञानिक भंडारण, वितरण और बिक्री के संबंध में खाद्यान्नों की विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों की तैयारी और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इन नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान तथा उपभोक्ताओं के हित, किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान कर तथा उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के वंचित तबकों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर सुरक्षित रहे। खाद्य प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्यों में लाभकारी मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद, उपभोक्ताओं, विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों को वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव शामिल है।

#### (1) विकेंद्रीकृत खरीद स्कीम

3.2 1997-98 में शुरू की गई विकेंद्रीकृत खरीद स्कीम (डीसीपी) के तहत, राज्य सरकारों द्वारा स्वयं खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण किया जाता है। खरीद की विकेंद्रीकृत प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एमएसपी किसानों को केंद्रित तरीके से दिया जाए, और गैर-पारंपरिक राज्यों में खरीद को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे स्थानीय किसानों को एमएसपी का लाभ मिले, जिससे परिवहन लागत में भी बचत होती है। यह पीडीएस के तहत वितरण के लिए स्थानीय स्वाद के अनुकूल खाद्यान्न की खरीद को भी सक्षम बनाता है।

3.3 इस स्कीम के तहत, राज्य सरकार और इसकी एजेंसियां भारत सरकार की ओर से धान / चावल और गेहूं की खरीद करती हैं और इन खाद्यान्नों को एनएफएसए और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत स्टोर और वितरित भी करती हैं। केंद्र सरकार, अनुमोदित लागत के अनुसार खरीद कार्यों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए संपूर्ण व्यय को पूरा करने का वचन देती है। यदि डीसीपी राज्य द्वारा खरीदा गया स्टॉक एनएफएसए/ओडब्ल्यूएस के तहत उसकी आवश्यकता से अधिक है तो राज्य द्वारा अधिशेष को अन्य घाटे वाले राज्यों को वितरण के लिए एफसीआई को सौंप दिया जाता है। यदि डीसीपी राज्य द्वारा खरीदा गया स्टॉक उसकी आवश्यकता से कम है, तो घाटे वाले हिस्से की आपूर्ति अन्य अधिशेष राज्यों से एफसीआई द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार योजना के तहत खरीदे गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी भी करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करती है कि खरीद संचालन

सुचारू रूप से किया जाता है। गेहूं/चावल की खरीद के लिए डीसीपी मोड अपनाने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के नाम निम्नानुसार हैं:

### गेहूं और चावल की विकेन्द्रीकृत खरीद करने वाले राज्य

क्र.सं.	चावल के लिए डीसीपी राज्य	क्र.सं.	गेहूं के लिए डीसीपी राज्य
1	उत्तराखंड	1.	मध्य प्रदेश
2	छत्तीसगढ़	2.	उत्तराखंड
3	उड़ीसा	3.	छत्तीसगढ़
4	तमिलनाडु	4.	गुजरात
5	पश्चिम बंगाल	5.	पश्चिम बंगाल
6	केरल	6.	बिहार
7	कर्नाटक	7.	पंजाब
8	मध्य प्रदेश	8.	महाराष्ट्र
9	आंध्र प्रदेश	9.**	राजस्थान (9 जिलों के लिए)
10	बिहार		
11.	तेलंगाना		
12.	महाराष्ट्र		
13.	गुजरात		
14.	अंडमान निकोबार		
15.	त्रिपुरा		
16.*	झारखंड (केवल 6 जिलों के लिए)*		

\* झारखंड के एमएस 2016-17 (केवल 1 जिले के लिए) 2017-18 (केवल 5 जिले के लिए), 2018-19 (केवल 6 जिले के लिए) के लिए डीसीपी था। उन्होंने के एमएस 2019-20 में गैर-डीसीपी को अपनाया है।

\*\* राजस्थान आरएमएस 2013-14 से 2015-16 (1 जिले के लिए) और 2016-17 (9 जिलों के लिए) में गेहूं के लिए डीसीपी था। आरएमएस 2017-18 से गैर-डीसीपी मोड के तहत गेहूं की खरीद की जाती है।

3.4 शेष राज्यों को डीसीपी पद्धति को अपनाने के लिए सहमत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर डीसीपी पद्धति को अपनाने पर राज्य सरकारों पर निधियों, भंडारण स्थान, बोरियों, जनशक्ति आदि की व्यवस्था करना जैसी पर्याप्त जिम्मेदारी आ जाती हैं, इसलिए वे इसे अपनाने से झिझकते हैं। तथापि, उनकी चिंताओं का समाधान करते हुए, उन्हें डीसीपी पद्धति अपनाने हेतु सहमत करने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं।

3.5 डीसीपी स्कीम के मूल्यांकन के सम्बंध में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2017 में यह अध्ययन डीसीपी स्कीम के मूल्यांकन हेतु नीति आयोग को सौंपा गया था। चूंकि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी, वर्ष 2019 में सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) से अर्ध शासकीय पत्र नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेज दिया गया था। किन्तु नीति आयोग से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2021 में नीति आयोग को आखिरी पत्र भेजा गया था जिसमें अध्ययन पूरा करने और शीघ्र अति शीघ्र इस विभाग को रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध किया गया किन्तु अभी तक नीति आयोग से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

3.6 विभाग ने समिति को आगे सूचित किया कि आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली को गेहूं/धान की खरीद के लिए "विकेंद्रीकृत खरीद स्कीम" का मूल्यांकन अध्ययन आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपा गया है। उक्त अध्ययन अभी भी जारी है।

3.7 समिति को यह नोट कर खेद है कि योजना प्रारंभ होने के 24 वर्षों के बाद और समिति द्वारा शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विकेंद्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी) अपनाने के लिए तैयार करने हेतु ठोस कदम उठाने की बार-बार सिफारिश करने के बावजूद गेहूं के लिए योजना को केवल 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तथा चावल के लिए 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है। यह देखते हुए कि डीसीपी योजना के तहत खाद्यान्नों की खरीद अधिक प्रभावी है क्योंकि गैर-विकेंद्रीकृत खरीद में एफसीआई का एक अतिरिक्त हैंडलिंग लेनदेन शामिल है जिसमें उसे खाद्यान्नों का स्टॉक लेना और उन्हें राज्य सरकार को जारी करना होता है, समिति इस बात से पूरी तरह से आश्चस्त है कि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी डीसीपी योजना जल्द से जल्द अपनानी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डीसीपी योजना को अपनाना और भी आवश्यक है। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को शेष राज्यों को इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए और योजना के कार्यान्वयन में उनकी समस्याओं, यदि

कोई हो, का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकतम संभव सहायता दी जानी चाहिए।

3.8 समिति यह नोट करके निराश है कि यद्यपि विभाग के अनुरोध पर, नीति आयोग के अंतर्गत एक मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था ताकि वर्ष 2017 में डीसीपी स्कीम के निष्पादन मूल्यांकन को किया जा सके, अनेक अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद, आज की तिथि तक मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आर्थिक विकास संस्थान द्वारा गेहूं/धान के प्रापण के लिए भी केंद्रित प्रापण स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिए इस मामले को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए ताकि उपायुक्त मूल्यांकन कार्य पूरा हो सके और दोनों एजेंसियों को इसे देखना चाहिए ताकि इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के छह माह के भीतर अपने संबंधित कार्य को पूरा किया जा सके और तदनुसार समिति को इससे अवगत कराया जाए।

(2) खाद्य राजसहायता- नियमित/ एनएफएसए के अधीन

3.9 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्य, बफर स्टॉक वहन लागत और लेवी चीनी, चीनी के आयात आदि के कारण अंतर की प्रतिपूर्ति के लिए खाद्य राजसहायता का भुगतान किया जाता है। आर्थिक लागत में प्रापण मूल्य, प्रापण आनुषंगिक और वितरण लागत शामिल हैं।

3.10 भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीकृत प्रापण योजना का प्रचालन करने वाले राज्यों को खाद्यान्नों पर जारी की गई राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	स्कीम	बजटीय प्रावधान और आवंटन (करोड़ रूपए में)	
		आवंटन	वास्तविक व्यय
2019-20	भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी **	75000.00	119164.02
	डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी ***	33508.35	44944.35
	<b>कुल</b>	<b>108508.35</b>	<b>1,64,108.37</b>
2020-21	भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी #	344077.00	462789###

	डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी	78337.77	66901.77##
	<b>कुल</b>	<b>422414.77</b>	<b>529690.77</b>
2021-22 (11.02.2022तक)	भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी	215283.00	1,74,500.00
	डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी	75,290.11	45,945.61
	<b>कुल</b>	<b>2,90,573.11</b>	<b>2,20,445.61</b>

\*\* वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, वित्त वर्ष 2019-20 में खाद्य सब्सिडी से जारी किए गए 44164.02 करोड़ रुपये एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समायोजित किया गया है। डीसीपी राज्यों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनुपयोग एनएसएसएफ ऋण के भाग के रूप में 11436 करोड़ रुपये शामिल है।

#इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमान (20-21), भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान के प्रयोजन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा 118712 करोड़ रुपये की निधि का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 20-21 में एफसीआई को जारी कुल निधि में से, एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 339236 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग किया गया और अतः दिनांक 31.03.21 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम का बकाया एनएसएसएफ ऋण 0 था।

## डीसीपी राज्यों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अनुपयोग एनएसएसएफ ऋण के भाग के रूप में 11436 करोड़ रुपये शामिल है।

3.11 पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित की तुलना में जारी की गई खाद्य राजसहायता (नियमित) और खाद्य राजसहायता (एनएफएसए) के ब्रेक-अप को प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की :-

क्र.सं	राज्य का नाम	2019-20	2020-21	21-22 (दिनांक 07.02.2022तक)
1.	आंध्र प्रदेश	7404.42	8424.72	6393.16
2.	बिहार	2535.71	4117.33	5498.42
3.	छत्तीसगढ़	4628.11	7193.13	4159.20
4.	गुजरात	69.03	9.24	0.00
5.	कर्नाटक	205.79	323.99	340.28
6.	केरल	469.30	1214.98	1400.10
7.	मध्य प्रदेश	8888.39	11946.44	6797.19
8.	महाराष्ट्र	1920.17	2555.74	2184.44
9.	ओडिशा	5807.45	8985.73	4357.30
10.	पंजाब	1612.09	1761.53	860.38
11.	राजस्थान	0	0	0
12.	तमिल नाडु	3242.79	3109.76	3499.35
13.	तेलंगाना	4858.89	6879.59	6896.97
14.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
15.	उत्तराखंड	903.12	1371.33	990.95
16.	पश्चिम बंगाल	2194.86	8792.03	2393.46
17.	झारखंड	0	3.66	0

18.	त्रिपुरा	0	29.79	15.58
19.	डीबीटी*	204.24	182.78	158.83
		44944.36	66901.77	45945.61

\* डीबीटी स्कीम के तहत, दिनांक 07.02.2022 की स्थिति के अनुसार, 2015-16 से चंडीगढ़, पुदुच्चेरी, दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी जारी किया गया।

\*\* संशोधित अनुमान 2019-20 में 33508.35 करोड़ रुपये था। कुल राशि में भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋण से डीसीपी राज्यों को जारी 11436 करोड़ रुपये शामिल है। तदनुसार, वित्त मंत्रालय ने एनएसएसएफ ऋण के लिए भारतीय खाद्य निगम को पुनर्भुगतान के लिए 11436 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन (20-21 के लिए बजट अनुमान से अधिक) किया गया और वित्तीय वर्ष 2020-21 में डीसीपी हेड से उक्त राशि को जारी किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम और डीसीपी राज्यों को निधि का आवंटन किया गया और वही बजट अनुमान 22-23 के लिए है जो निम्नानुसार है:

वर्ष	2022-23 (बजट अनुमान)		(करोड़ रूपए में)
	भारतीय खाद्य निगम	डीसीपी राज्य	कुल
डीएफपीडी द्वारा जारी राजसहायता	145919.90	60561.19	206481.09

3.12 आगे, समिति ने विभाग से खाद्यान्न सब्सिडी के लिए निधियों की आवश्यकता की तुलना में निधियों की उपलब्धता के बीच अंतर को पूर करने हेतु उपायों के बारे में पूछा। खाद्यान्न सब्सिडी के लिए निधियों की आवश्यकता की तुलना में निधियों की उपलब्धता के बीच अंतर को बजट में अतिरिक्त निधियों के आवंटन द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, एफसीआई के मामले में बजटीय आवंटन की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम आवश्यकता अनुसार विभिन्न बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है, सरकार से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) का लाभ उठाता है, बैंकों के कंसोर्टियम से नकद ऋण सीमा (सीसीएल) के माध्यम से निधियां उधार लेता है तथा सरकारी गारंटी बॉण्ड जारी करता है। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया कि भारतीय खाद्य निगम को एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 339236 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। अतः दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार एनएसएसएफ ऋण शून्य था, जिस कारण ऋण का भार काफी कम हो गया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बैंकों के कंसोर्टियम के साथ बातचीत की है और

परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम, राज्य द्वारा लिए गये ऋण के ब्याज दर में 8.74% प्रति वर्ष से 7.74% प्रति वर्ष तक की कमी आयी है।

3.13 इस संबंध में खाद्य प्रबंधन के विशेषज्ञों की राय के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा अपनी दिनांक 26.02.2016 की रिपोर्ट के माध्यम से व्यय प्रबंधन आयोग गठित किया था जिसने सिफारिश की थी कि तात्कालिक कदम के रूप में सब्सिडी की समय पर प्रतिपूर्ति, निर्मुक्ति की आवृत्ति में वृद्धि तथा अर्थोपाय अग्रिम की मात्रा में उपयुक्त बढ़ोत्तरी का परिणाम खाद्य सब्सिडी बिल में बचत हो सकता है। आयोग ने यह भी पाया कि खाद्यान्न सब्सिडी में कटौती के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सीमित वृद्धि, सीमिति खरीद तथा केन्द्रीय निर्गत मूल्यों (सीआईपी) में वृद्धि के उपायों के तालमेल की आवश्यकता होगी।

3.14 समिति ने विभाग से खाद्य राजसहायता के लिए निधियों की बढ़ती मांग की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। उत्तर में, विभाग ने प्रस्तुत किया कि वे खाद्य सब्सिडी में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने की आवश्यकता के बारे में पूर्णतः सचेत है और इस संबंध में नियमित रूप से प्रयास कर रहा है। खाद्य सब्सिडी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद और वितरण को प्रोत्साहित करना।

- i. भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम कूपन दरों पर सरकारी गारंटी समर्थित बॉन्ड जारी करना।
- ii. भारतीय खाद्य निगम की कार्यदक्षता में वृद्धि करना।
- iii. नकद ऋण पर ब्याज दर को कम करने के लिए बैंकों के कंसोर्टियम से खाद्य ऋण पर विचार-विमर्श करना।
- iv. खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत अधिक बिक्री करके खाद्यान्नों के अधिशेष स्टॉक को समाप्त करना और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर खरीद को अनुकूलतम बनाना।
- v. एनएसएसएफ ऋण पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किये गए 339236 करोड़ रुपये से खाद्यान्नों की आर्थिक लागत कम कर दी है और इस कारण खाद्य सब्सिडी की आवश्यकता में कमी की गयी है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बैंकों के कंसोर्टियम के साथ बातचीत की है और परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम, राज्य द्वारा लिए गये ऋण के ब्याज दर में 8.74% प्रति वर्ष से 7.74% प्रति वर्ष तक की कमी आयी है।

3.15 समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य राज्य सहायता के बारे में - निधियों का आवंटन 290573.11 करोड़ रुपए है लेकिन वन 11.02.2022 स्पीक की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 220445.61 करोड़ रुपए अर्थात् आवंटन का 76% है। हालांकि, समिति वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य राजसहायता पर ब्याज में कमी के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना करती है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि यह अभी भी काफी अधिक है इसमें और अधिक कटौती करने की अभी भी संभावना है। समिति मंत्रालय से यह अनुरोध करती है कि मंत्रालय को बैकअप योजना तैयार कर भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी की अनुचित परिस्थितियों का निराकरण कर के लाभार्थियों की मांग के साथ समझौता किए बिना उसे अनुकूल बनाएं।

#### (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

3.16 सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्नों की कमी के प्रबंधन तथा वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्नों के वितरण की प्रणाली के रूप में उभरी है। पिछले वर्षों में पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक प्रकृति की है तथा इसका उद्देश्य किसी परिवार या समाज के किसी वर्ग को इसके अंतर्गत वितरित जिनसों की समस्त आवश्यकता को उपलब्ध कराना नहीं है।

3.17 सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत संचालित होती है। एफसीआई के माध्यम से केन्द्र सरकार की खरीद, भंडारण, परिवहन और राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के थोक आवंटन का कार्य करने की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के पास राज्य के भीतर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करना, राशन कार्डों को जारी करना और एफपीएस के कार्यक्रम की निगरानी करने सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वर्तमान में केवल खाद्यान्न अर्थात् गेहूँ, चावल तथा मौटा अनाज ही वितरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आउटलेट्स के माध्यम से कपड़े, अभ्यास पुस्तकें, दालें, नमक और चाय, तेल आदि जैसी बड़े पैमाने पर खपत की अतिरिक्त वस्तुओं का भी वितरण करते हैं।

3.18 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' संबंधी स्कीम के अधीन विभाग 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के जरिए राशन कार्ड धारकों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी क्रियान्वित कर रहा



है,जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किया गया कोई भी पात्र राशन कार्ड धारक/ लाभार्थी देश में उचित दर दुकानों पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरण पर बियोमेट्रिक/आधार प्रमाणन करने के बाद मौजूदा/उसी राशन कार्ड का उपयोग करके अपनी पसन्द की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का उठान कर सकता है। वर्तमान में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्डों की राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुप्रवाही रूप से लागू है जिसके तहत 77 करोड़ लाभार्थियों (एनएफएसए जनसंख्या का 96.8% प्रतिशत) को कवर किया गया है,ताकि वे इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कहीं भी अपने एनएफएसए खाद्यान्नों/लाभों को प्राप्त कर सकें। यह विभाग शेष राज्य असम के साथ इस मामले को लगातार उठा रहा है ताकि वे तकनीकी तैयारियों के आधार पर अगले कुछ महीनों तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सविधा का लाभ उठाने में सक्षम हो सके।

3.19 इसके अतिरिक्त विभाग ने सूचित किया कि इस विभाग में स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

3.20 विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' के माध्यम से एनएफएसए के अंतर्गत राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

3.21 इसके अतिरिक्त विभाग ने सूचित किया कि **वर्तमान में, मासिक आधार पर लगभग 2.5 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन ( अंतर राज्य, राज्य से राज्य और पीएम-जीकेएवाई खाद्यान्न लेनदेन) ओएनआरसी के तहत कवर किया जा रहा है।** अब तक ओएनओआरसी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 56 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जो अंतर-राज्य और राज्य से राज्य पोर्टेबिलिटी लेनदेन दोनों के माध्यम से लगभग कुल 100 लाख टन खाद्यान्न वितरित करते हैं।

3.22 यह पूछे जाने पर कि क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों में आधार कार्ड नंबर की सीडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया, विभाग ने एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में, राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों के साथ समग्र आधार सीडिंग (परिवार का कम से कम एक सदस्य) 93.80% प्रतिशत तक पहुँच गई है। असम तथा मेघालय में निराशाजनक/नगण्य आधार सृजन के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में आधार सीडिंग की प्रगति मुख्य रूप से धीमी है।

Sl.	States/UTs	Digitization of Ration Cards	% Aadhaar Seeding with Ration Cards	Online Allocation of Foodgrains	Computerization of Supply Chain Management	Toll-Free/ Online Grievance Redressal	No. of Fair Price Shops (FPSs)	No. of FPSs with Operational ePoS
1	Andaman and Nicobar Islands	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	464	445
2	Andhra Pradesh	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	28,936	28,936
3	Arunachal Pradesh	100%	60%	Implemented	-	Yes	1,640	1,635
4	Assam	100%	47%	Implemented	Implemented	Yes	33,987	19,078
5	Bihar	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	47,032	47,021
6	Chandigarh	100%	100%	NA	NA	Yes	NA	NA
7	Chhattisgarh	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	12,304	12,004
8	Dadra & NH and Daman Diu	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	114	114
9	Delhi	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	1,998	1,998
10	Goa	100%	98%	Implemented	Implemented	Yes	451	450
11	Gujarat	100%	99%	Implemented	Implemented	Yes	17,048	17,048
12	Haryana	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	9,526	9,526
13	Himachal Pradesh	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	4,934	4,934
14	Jammu & Kashmir	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	6,737	6,737

15	Jharkhand	100%	98%	Implemented	Implemented	Yes	25,532	25,532
16	Karnataka	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	20,044	20,044
17	Kerala	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	14,189	14,155
18	Ladakh	100%	99%	Implemented	Implemented	Yes	409	409
19	Lakshadweep	100%	100%	Implemented	NA	Yes	39	39
20	Madhya Pradesh	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	25,435	25,435
21	Maharashtra	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	52,532	52,532
22	Manipur	100%	99%	Implemented	-	Yes	2,765	2,765
23	Meghalaya	100%	28%	Implemented	Implemented	Yes	4,735	4,727
24	Mizoram	100%	97%	Implemented	Implemented	Yes	1,245	1,244
25	Nagaland	100%	90%	Implemented	Implemented	Yes	1,629	1,628
26	Odisha	100%	99%	Implemented	Implemented	Yes	12,577	12,577
27	Puducherry	100%	98%	NA	NA	Yes	NA	NA
28	Punjab	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	17,525	17,525
29	Rajasthan	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	25,682	25,579
30	Sikkim	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	1,316	1,316
31	Tamil Nadu	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	34,776	34,776

32	Telangana	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	17,170	17,170
33	Tripura	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	1,806	1,806
34	Uttarakhand	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	9,200	9,200
35	Uttar Pradesh	100%	100%	Implemented	Implemented	Yes	79,612	79,612
36	West Bengal	100%	80%	Implemented	Implemented	Yes	20,261	20,261
<b>Summary</b>		100%	<b>93.5%</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>5,33,650</b>	<b>5,16,775</b>

3.23 समिति ने विभाग से कहा कि वह 100% आधार सीडिंग पूरी न होने के कारणों के साथ-साथ इस दिशा में विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बताए। उत्तर में विभाग ने बताया कि वह राशनकार्ड डाटाबेस में आधार सीडिंग बढ़ाने के लिए नियमित रूप से हर संभव प्रयास कर रहा है। इस संबंध में विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आधार सीडिंग बढ़ाने तथा आधार संख्या को वैध करने के लिए दिशा-निर्देश/सर्वोत्तम पद्धतियां तैयार की हैं तथा जारी की हैं। राशन कार्डों के साथ आधार सीडिंग में तेजी लाने के लिए पिछड़ने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ यह मामला नियमित रूप से उठाया जा रहा है। इस संबंध में आधार अधिनियम (समय-समय पर संशोधित) की धारा 7के तहत विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समय सीमा दिनांक 31.03.2022 तक बढ़ाई गई है।

3.24 साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया:

“महोदय, ये राज्य सरकारों से एकत्र किए गए आंकड़े हैं और हमने उन सभी को राशन प्रदान किया है। उन्हें भोजन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड है। सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि ये सभी कम्प्यूटरीकृत हैं और भारत के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति कहीं भी राशन प्राप्त कर सकता है। तदनुसार, हम अंतिम लेकिन एक बुलेट बिंदु देख सकते हैं। कोविड काल के दौरान लगभग 49 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन पंजीकृत किए गए थे। 80 करोड़ में से 49 करोड़ अर्थात् इतनी बड़ी संख्या में पारगमन में रहने वाले लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और उन्हें राशन मिला है; इसलिए, लेनदेन विभाग की वेबसाइट में परिलक्षित होते हैं। वर्तमान में, यह योजना लगभग 35 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें लगभग 77 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि हम समर्थ हैं कि भारत के किसी भी

हिस्से में कोई भी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के राशन का लाभ उठा सकता है। इसलिए, हम इस एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के माध्यम से प्राप्त करने में सक्षम हैं। संभवत, मैं समझता हूं कि हम इसके लिए प्रधान मंत्री द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने की दिशा में हैं।”

3.25 समिति नोट करती है कि देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग कुल प्रतिशतता 93.8% है। मंत्रालय ने बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में आधार सीडिंग की प्रगति कम होने का कारण असम और मेघालय में कम आधार बनना है। समिति इस तथ्य पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राशन कार्ड के साथ आधार की सीडिंग के कार्य की प्रक्रिया अभी भी जारी है तथा क्रमशः 60%, 47%, 28%, और 80% सीडिंग का कार्य ही अभी पूरा हुआ है। समिति पूरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सीडिंग का कार्य 100% पूरा करना चाहिए। समिति आगे इच्छा व्यक्त करती है कि राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग के मुद्दे को उच्चतम स्तर पर निपटा लेना चाहिए ताकि एक राष्ट्र 'एक राशन कार्ड स्कीम'का उद्देश्य पिछड़े राज्यों में सभी प्रवासी लाभार्थियों को सशक्त बनाने के कार्य को पूरा किया जा सके और गरीब लोग सरकार की कल्याणकारी स्कीमों के निर्वाध लाभों को प्राप्त कर सकें।

3.26 समिति ने यह भी पूछा कि क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है, उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि अब तक 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण कार्यान्वित कर दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में इसके कार्यान्वयन का कार्य अभी पूरा किया जाना है। इसके अलावा, चंडीगढ़, पुद्दुचेरी और लक्षद्वीप में यह गतिविधि लागू नहीं है।

3.27 समिति नोट करती है कि 31 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में आपूर्ति चेन प्रबंधन कंप्यूटरीकरण कार्यान्वित किया गया है तथा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का कंप्यूटरीकरण का कार्य अभी भी चल रहा है। क्रियाकलाप चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में लागू नहीं है क्योंकि ये तीनों प्रत्यक्ष अंतरण स्कीम (डीबीटी) के अंतर्गत आते हैं। अतः समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंप्यूटरीकरण में विलंब के कारणों का पता लगाए तथा शेष पूर्वोत्तर राज्यों में निर्धारित समयावधि के भीतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंप्यूटरीकरण के कार्य को पूरा करें।

### (घ) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)

3.28 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड-19 की आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) (अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच)) के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को कुल 19 माह की अवधि के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से केंद्रीय पूल से निःशुल्क खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन किया गया था। इस अवधि के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की कुल लगभग 759.74 लाख टन मात्रा निःशुल्क आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सामान्य आवंटन के अतिरिक्त किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और उन्हें खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

3.29 साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नानुसार सूचित किया: -

#### “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) 2020-21 और 2021-22”

चरण	अवधि	आवंटन(लाख टन में)	वित्तीय सम्भावनाए (करोड रुपय में)
चरण-I	अप्रैल-जून, 2020	121.00	46,061
चरण-II	जुलाई-नवम्बर, 2020	201.00	76,062
चरण-III	मई तथा जून, 2021	079.39	26603
चरण-IV	जुलाई-नवम्बर, 2021	198.78	66279
चरण-V	दिसम्बर, 2021-मार्च, 2022	159.05	53344
कुल	19 माह	759.22	2,68,348

3.30 इस योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने समिति को बताया कि देश में कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन के मद्देनजर, माननीय वित्त मंत्री ने देश में महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीब तथा जरूरतमंद के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मार्च 2020 में 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी)' की घोषणा की थी। आर्थिक पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ "प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)" का कार्यान्वयन शामिल था। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए यह स्कीम नवंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा, गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर सहायता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह स्कीम चार माह अर्थात् मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए पुनः बढ़ा दी गई थी। तथापि, मार्च, 2022 के बाद इस स्कीम के किसी विस्तार पर उस समय कोविड-19 के कारण देश में व्याप्त स्थिति के आधार पर इस विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

3.31 समिति ने विभाग से योजना का अपना वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रस्तुत करने को कहा। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि प्रति लाभार्थी प्रति माह 5 किलोग्राम के इस अतिरिक्त आवंटन का उद्देश्य कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इस महामारी के दौरान व्यवधान के कारण कोई भी गरीब परिवार खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण पीड़ित न हो। इस प्रकार, इस निःशुल्क सहायता ने उन्हें बिना किसी वित्तीय संकट का अनुभव किए खाद्यान्नों के रूप में यह राहत को सीधे ही प्राप्त करने में मदद की।

3.32 विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण का अनंतिम सारांश भी प्रस्तुत किया:

पीएमजीकेएवाई के चरण	अवधि	आवंटित मात्रा	उठान की मात्रा	वितरित मात्रा
चरण - I (3 माह)	अप्रैल 20 - जून 20	120 लाख टन	117.9 लाख टन	112.6 लाख टन(94%)
चरण - II (5 माह)	जुलाई 20- नवम्बर 20	201 लाख टन	187.6 लाख टन	186.2 लाख टन(93%)
चरण - III (2 माह)	मई 21 - जून 21	80 लाख टन	78.3 लाख टन	75.2 लाख टन(94.6%)
चरण - IV (5 माह)	जुलाई 21- नवम्बर 21	199 लाख टन	191.6 लाख टन	186.28 लाख टन(93.57%)
चरण - V (4 माह)	दिसम्बर 21- मार्च 22	159 लाख टन	92.02 लाख टन	65.22 लाख टन(41.01%) (वितरण जारी है)
कुल(19 माह)		759 लाख टन	667.4 लाख टन	625.56 लाख टन

3.33 साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया: -

“महोदय, यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसे मैं विभाग की ओर से माननीय सदस्यों को प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा कि सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है, 19 महीनों के लिए, पांच चरणों में, समय-समय पर इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। अतः, महीनों की संख्या के आधार पर, हमने इसका बजट बनाया है। लगभग, प्रति माह, हमें पीएमजीकेवाई कार्यक्रम के लिए 15000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अगर इसे 12 महीने तक चलाया जाता है, तो हमें 1 लाख करोड़ रुपये और चाहिए। इसलिए, यह इस तरह से काम करता है। इसलिए, हम यह कहना चाहते हैं कि कोविड की शुरुआत यानी फरवरी 2020 के बाद से पीएमजीकेवाई के लिए विभाग द्वारा खर्च की गई कुल राशि, कुल 2.68 लाख करोड़ रुपये है। लगभग 634 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है। आप जानते हैं, यह निःशुल्क वितरित किया जाता है, इसके साथ किसी भी प्रकार की कीमत संलग्न नहीं है। यह पूरे देश के लिए लगभग एक साल की खरीद की तरह है।”

3.34 समिति नोट करती है कि कोविड-19 महामारी ने पूरे देश को अनेकों तरीकों से प्रभावित किया है। इसका प्रभाव खाद्य सुपुर्दगी प्रणाली पर पड़ा है जिससे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष परिणाम लोगों के जीवन तथा उनकी जीविका पर पड़े हैं, विशेषकर समाज के सबसे कमजोर तबके पर पड़ा है। समिति सरकार की प्रशंसा करती है कि उसने कोविड-19 के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्डुनिया अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी स्कीम शुरू की थी जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अंत्योदय अन्य योजना (एवाई), और प्राथमिकता वाले घर (पीएचएच) के अंतर्गत शामिल सभी लाभार्थियों के लिए केंद्रीय पूल से पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निशुल्क खाद्यानों के अतिरिक्त आवंटन के लिए जिसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 19 माह की कुल अवधि के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत जो लोग शामिल हैं। तथापि समिति यह पाती है कि विभाग ने लाभार्थियों के जीवन पर स्कीम के पूंजीगत परिव्यय तथा व्यय तथा उनके अंतिम नतीजों के बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया है और न ही कराया जाना प्रस्तावित है। इसलिए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह एक उद्देश्यपरक आकलन कराए ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्कीम ने किस सीमा तक लाभार्थियों की मदद की है तथा और कितने समय तक इसको और चलाए जाने की आवश्यकता है।



## (ड) पीडीएस के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और उसका वितरण

3.35 देश में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने 174.64 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से वर्ष 2019-20 की शुरूआत से 3 साल की अवधि के लिए "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन और इसका वितरण" पर केंद्रीय प्रायोजित पायलट स्कीम अनुमोदित की है।

3.36 पायलट परियोजना के अंतर्गत चयनित 15 राज्यों में से केवल 11 राज्यों ने फोर्टिफाइड चावल वितरित किए हैं।

3.37 साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया:-

“इसलिए, विभाग ने 15 पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से हमने 11 परियोजनाएं शुरू की हैं। अंततः, प्रतिक्रिया और आवश्यकता के आधार पर, चूंकि माननीय प्रधान मंत्री ने 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी, तदनुसार, हम इसे पूरे देश में स्केल कर रहे हैं। तत्पश्चात्, हम योजना और बजट आबंटन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। जब भी यह दिया जाएगा, हम इसे सदस्यों को अद्यतन करेंगे।”

3.38 जब यह पूछा गया कि अन्य 4 राज्य अर्थात् केरल, कर्नाटक, असम और पंजाब ने फोर्टिफाइड चावल का वितरण क्यों नहीं आरम्भ किया गया, विभाग ने बताया कि केरल राज्य फोर्टिफाइड चावल के नमूनों के टेस्ट के परिणामों में कुछ विसंगतियों के कारण अपने चिह्नित एर्नाकुलम जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू करने में असमर्थ था। एफएसएसएआई ने दिनांक 01.12.2021 के पत्र माध्यम से सूचित किया था कि फोर्टिफाइड चावल बिना किसी प्रतिकूल सुरक्षा प्रभाव के वितरित किए जा सकते हैं। तदनुसार, केरल सरकार को दिनांक 16.12.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था। पायलट जिले में वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्यों के साथ वीसी के माध्यम से कई अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गई थीं। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री को अ.शा. पत्र (दिनांक 26 नवंबर 2020) लिखा गया। पायलट जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू करने के लिए सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण)/संयुक्त सचिव की ओर से राज्य के मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग को कई अ.शा. पत्र भेजे गए थे। तथापि, राज्य ने अभी तक वितरण शुरू नहीं किया है।

असम राज्य ने सूचित किया है कि उनके चिह्नित धुबरी जिले में फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन के लिए कोई मिलिंग क्षमता नहीं है और पायलट जिले (धुबरी) में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने के लिए इस विभाग से अनुरोध किया है। फोर्टिफाइड चावल के लिए कोई मांग प्रस्तुत करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से असम सरकार से अनुरोध किया गया था

और उनसे अपनी आवश्यकता के अनुसार फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने के लिए लिंकड खरीद क्षेत्र और संचलन डिवीजन, भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय को अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। पंजाब में चिह्नित लुधियाना जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरित नहीं किया जा सका क्योंकि पंजाब में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का वितरण नहीं किया जाता है।

कर्नाटक राज्य ने पायलट जिले में अभी तक वितरण शुरू नहीं किया है, यद्यपि, राज्य ने दिनांक 24.07.2019 को अपनी सहमति दे दी है।

3.39 समिति ने कर्नाटक राज्य द्वारा फोर्टिफाइड चावल के गैर-वितरण के कारणों का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी पूछताछ की, हालांकि राज्य ने 24.07.2019 को वितरण के लिए अपनी सहमति दे दी थी, विभाग ने अपने साक्ष्य उपरांत उत्तर में कहा कि कर्नाटक ने अभी तक पायलट जिले में वितरण शुरू नहीं किया है, हालांकि राज्य ने 2 साल से अधिक समय पहले अपनी सहमति दी थी। पायलट जिले में वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य के साथ वीसी के माध्यम से कई अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गईं। पायलट जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू करने के लिए माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मंत्री द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, सचिव (डीएफपीडी) / संयुक्त सचिव से राज्य विभाग के मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव को कुल 11 डीओ पत्र भेजे गए थे। कर्नाटक को भी डीओ पत्रों के अलावा आठ वीसी बैठकों के माध्यम से पायलट के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू करने के लिए राजी किया गया था।

3.40 विभाग ने बताया कि इस पायलट स्कीम के तहत अब तक 7.36 करोड़ रुपये [2.35 + 5.01] की राशि जारी/स्वीकृत की गई है। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए वर्ष-वार बजट आवंटन, संशोधित आवंटन और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

#### राशि करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2019-20	42.65	1.00	0.00
2020-21	20.00	9.00	2.35
2021-22 (08.02.2022की स्थिति के अनुसार)	70.00	9.05	5.01 (लगभग)

3.41 विभाग ने आगे बताया कि अब तक की स्थिति के अनुसार 07 (सात) राज्यों ने अपने दावे भेजे हैं। हाल ही में 04 राज्यों ने अपना वितरण शुरू किया है। इस प्रकार, आगामी महीनों में मार्च, 2022 तक वितरण की अवधि के लिए वे अपने दावों को प्राथमिकता दे सकते हैं।

3.42 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि पंजाब में पीडीएस के माध्यम से चावल का वितरण नहीं होने पर भी पायलट योजना के तहत पंजाब का चयन क्यों किया गया है, विभाग ने अपने साक्ष्य उपरांत उत्तर में कहा कि पंजाब में हालांकि पीडीएस के तहत चावल वितरित नहीं किया जाता है, किन्तु एक अधिशेष राज्य होने के कारण यह देश भर में अधिकांश घाटे वाले राज्यों को चावल की आपूर्ति करता है। इसलिए, जब पंजाब के अपने लुधियाना जिले की पहचान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, तो राज्य में चावल फोर्टिफिकेशन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए पायलट योजना में पंजाब की भागीदारी को स्वीकार करने पर विचार किया गया, जो बाद में अन्य घाटे वाले राज्यों में वितरित करने में एफसीआई/राज्य एजेंसी द्वारा फोर्टिफाइड चावल की खरीद में मदद कर सकता है।

## अध्याय चार

### भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को संसद के अधिनियम — भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अधीन वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। निगम का प्राथमिक उद्देश्य खाद्यान्न का क्रय, भंडारण संचलन, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। एफसीआई भारत सरकार की खाद्य नीति की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी होने के कारण किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों को क्रय करती है तथा किसानों को उपज की औने-पौने दामों पर बिक्री को रोकती है। भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय खाद्य निगम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का संतोषजनक कार्यशील तथा बफर स्टॉक भी बनाए रखती है। यह विभिन्न राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के विस्तृत जाल के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा वस्तुओं के लिए निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं में वितरण के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

4.2 चूंकि भारतीय खाद्य निगम संसद के विशेष अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और कंपनी अधिनियम के अधीन नहीं आता है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम की पूंजी केवल साम्या पूंजी के रूप में है और शेयरों में विभाजित नहीं है।

4.3 एफसीआई भारत सरकार की खाद्य नीति की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी होने के कारण किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों को क्रय करती है तथा किसानों को उपज की औने-पौने दामों पर बिक्री को रोकती है। भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय खाद्य निगम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का संतोषजनक कार्यशील तथा बफर स्टॉक भी बनाए रखती है। यह विभिन्न राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के विस्तृत जाल के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा वस्तुओं के लिए निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं में वितरण के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराती है।

#### **(क) भारतीय खाद्य निगम की देयताएं और दायित्व**

4.4 समिति ने वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों से एफसीआई की बकाया राशि की वसूली की जानकारी मांगी। उत्तर में मंत्रालय ने

बताया किग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त होने वाले शेष बकाया और वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान की गई वसूली निम्नानुसार है:-

**ग्रामीण विकास मंत्रालय:**

दिनांक 31.03.2008 तक एसजीआरवाई योजनाओं के तहत आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के संबंध में विवरण  
(रुपए करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त राशि	बकाया राशि
2019-20	शून्य	2454.03
2020-21	शून्य	2454.03
2021-22(दिनांक31.12.2021के अनुसार,अनंतिम)	शून्य	2454.03

यह स्कीम 31.03.2008को बंद कर दी गई है।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय:-** एमडीएम योजना के तहत आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के संबंध में विवरण

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त राशि	बकाया राशि
2019-20	499.52	143.64
2020-21	556.88	249.60
2021-22 (दिनांक31.12.2021के अनुसार,अनंतिम)	335.45	350.42

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मामले में,शेष राशि के लिए मंत्रालय द्वारा 400 करोड़ रूपए की आवर्ती निधि प्रदान की गई है।

**विदेश मंत्रालय :**अफगानिस्तान को भारत सरकार से दान के तहत पौष्टिक बिस्किट की आपूर्ति के लिए डब्ल्यूएफपी को जारी गेहूं के संबंध में विदेश मंत्रालय से निम्नलिखित राशि की वसूली की जानी है::

अवधि	अंत शेष (रुपए करोड़ में)
2015-16	48.03
2016-17	47.99
2017-18	113.56
2018-19	47.99

2019-20	47.99
2020-21	67.92
2021-22	56.46

4.4 यह पूछे जाने पर कि क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर मंत्रालयों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान करना अपेक्षित होता है, मंत्रालय ने बताया कि एसजीआरवाई स्कीम के तहत जारी की गई मात्रा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के मामले में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। एमडीएम में भुगतान की विकेंद्रीकृत योजना के तहत राज्य/जिला प्राधिकारियों द्वारा अगले महीने में बिल के प्रस्तुत किए जाने के बाद भुगतान के लिए 20 दिन की समय सीमा है (बिल के प्रस्तुत किए जाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है), लेकिन इसका कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है।

4.6 भारतीय खाद्य निगम को देय बकाया राशि का निपटान कराने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम, शेष बकाये के निपटान के लिए इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठा रहे हैं। इस विभाग ने संबंधित मंत्रालय/विभागों के साथ दिनांक 25.07.2018 और 28.12.2018 को बैठक आयोजित की है और इन विभागों से दिनांक 17.01.2019, 11.02.2019, 28.03.2019 और 05.07.2019 के पत्र के माध्यम से शेष बकायों के त्वरित निपटान के लिए मामले को नियमित रूप से उठाया जा रहा है। इसके अलावा, डीएएफपीडी ने दिनांक 17.11.2020 के पत्र के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के बकाया देय राशि के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया। इसके बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भारतीय खाद्य निगम बकाया की समीक्षा करने के लिए 04.06.2021 को संयुक्त सचिव (पी&एफसीआई) की अध्यक्षता में वीसी आयोजित किया गया था। विभिन्न मंत्रालयों से इस मामले के निपटान पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि अभी इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों से सूचना प्रतीक्षित है।

4.7 समिति चिंता के साथ नोट करती है कि भुगतान के आधार पर विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के लिए एफसीआई द्वारा उनको प्रदान कराए गए खाद्यान्नों के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) की देय राशि बकाया है। समिति को यह बताया गया है कि 31.02.2008 तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) स्कीम अर्थात् जब स्कीम बंद हुई थी के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम के भुगतान के लिए 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 2454.03 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम) के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के शिक्षा मंत्रालय (एचआरडी) पर 350.42 करोड़ रुपये (03.12.2021 की स्थिति के अनुसार) बकाया है, जबकि भारत सरकार के अफगानिस्तान को दान दिए गए 'इंडियाज डोनेशन ट्रू अफगानिस्तान' के तहत अफगानिस्तान के लिए फोर्टिफाइड बिस्कुटों की आपूर्ति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के लिए गेहूं जारी करने हेतु विदेश मंत्रालय पर 56.46 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। समिति महसूस करती है कि वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के बकाया देयों के वसूली की असमर्थता भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा हमेशा बढ़ती खाद्य राजसहायता का भार रहेगा। अतः समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि विभाग को अन्य मंत्रालयों के साथ उच्चतम स्तर पर मामले को नियमित रूप से उठाने के लिए उच्चतर अधिकारियों का वसूली प्रकोष्ठ गठित करके बकाया देय का निपटान करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, ताकि बकाया देय की वसूली हो, जो निश्चित तौर पर भारतीय खाद्य निगम की देयता को कम करेगी।

## (ख) एफसीआई की स्थापना लागत

4.8 भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए निवल व्यय (स्थापना लागत सहित) की प्रतिपूत सरकार द्वारा खाद्य राजसहायता के रूप में की जाती है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापना लागत के प्रमुख घटक वेतन, महंगाई भत्ते, फ्रिज बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण हैं। यथा अपेक्षित, 2019-20 और 2020-21 और 2021-22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान स्थापना लागत नीचे दी गई है: -

विवरण	2019-20	2020-21 (यू/ए)	2021-22 दिसंबर 2021 तक
वेतन	2107.30	1199.62	1008.33
डी.ए.	-560.71	172.12	245.00
पीएफ आदि में अंशदान	185.10	165.55	150.83
सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना के लिए योगदान	59.10	52.40	48.33
सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन योजना के लिए योगदान	154.06	137.74	125.83
परिवहन प्रतिपूर्ति/परिवहन सब्सिडी	119.23	71.58	0.00
डस्टिंग ऑपरेटर भत्ता	-0.30	0.00	0.00
अर्जित अवकाश (सेवा के दौरान)	55.45	97.55	69.17
शिक्षा भत्ते	4.41	7.79	0.00
फ्रिज लाभ	657.69	298.19	323.33
एचआरए	195.34	161.93	151.67
व्यक्तिगत वेतन (एसएफएन / एचक्यूए)	0.41	0.86	0.00
आईडीए पर आई	-0.39		
एलटीसी नकदीकरण	0.48	0.69	0.83
एलटीसी होम टाउन/भारत दर्शन	7.56	11.70	10.00
अन्य भत्ते	3.98	7.59	0.00
वेतन पुनरीक्षण बकाया	32.74	6.14	0.00
पीएलआई	40.05	50.74	20.83



टिफिन भत्ते	-12.25	0.19	0.00
वीआरएस आस्थगित व्यय	2.67	2.81	0.00
धुलाई भत्ते	15.62	8.47	0.00
<b>उप योग</b>	<b>3067.56</b>	<b>2453.65</b>	2154.17
चिकित्सा व्यय	51.36	41.20	62.50
ओटीए	26.06	48.43	37.50
लंबित ओटीए	0.00	0.00	0.83
कल्याण व्यय	31.79	25.92	25.00
<b>उप योग</b>	<b>109.20</b>	<b>115.55</b>	125.83
<b>स्थापना लागत</b>	<b>3176.76</b>	<b>2569.20</b>	2280.00
डीसीआरजी	170.31	130.54	95.00
कोविड-19 के कारण ड्यूटी के दौरान मृतक के आश्रित/कानूनी वारिस को मौद्रिक मुआवजा	0.00	2.45	20.83
ई.एल. (सेवानिवृत्ति पर)	42.99	39.02	34.17
<b>कुल स्थापना लागत</b>	<b>3390.06</b>	<b>2741.21</b>	2430.00
<b>पूँजीकृत स्थापना लागत</b>	4.32	4.37	0.00
<b>सकल स्टाफ लागत</b>	<b>3385.74</b>	<b>2736.84</b>	<b>2430.00</b>
<b>पिछले वर्ष की तुलना में % अंतर</b>	-	<b>-19.17</b>	

1. 2019-20 में अधिक वेतन के भुगतान और श्रेणी III और IV कर्मचारियों के वेतन संशोधन बकाया के कारण लागत में वृद्धि हुई। यह संशोधन 01.01.2017 से देय था।
2. उपर्युक्त तालिका में, डीए आंकड़े नकारात्मक दिखा रहे हैं जो 01.01.2017 से भुगतान किए गए उच्च डीए की वसूली के कारण है।
3. संशोधन के कारण, मूल वेतन में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप इसके आधार पर गणना किए गए भत्ते भी बढ़ गए।
4. पुनरीक्षण में, अन्य भत्तों के बदले श्रेणी III और IV कर्मचारियों को मूल का 35% की दर से लाभ दिया गया था। इस वजह से फ्रिज बेनिफिट्स में खर्च बढ़ गया। कुछ भत्ते वसूले जाते हैं जो नकारात्मक आंकड़े में दिखाए गए हैं।

5. 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम में पुरुषों की संख्या 20850 थी, और 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार यह संख्या 22215 थी और दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार यह संख्या 22639 थी। पुरुषों की संख्या में यह वृद्धि पिछले दो वर्षों में भारतीय खाद्य निगम में हाल ही में हुई भर्ती के कारण हुई है। यह संगठन की स्थापना लागत की वर्तमान प्रवृत्ति में भी परिलक्षित हो रहा है।

4.9 स्थापना लागत को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपचारात्मक/सुधारात्मक कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कहा कि निगम के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और भत्ते स्थापना लागत का एक बड़ा हिस्सा हैं। निगम के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्ते स्थापना लागत का एक बड़ा हिस्सा हैं। इस प्रकार, इस संबंध में खर्च सीधे निगम में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और उनके द्वारा आहरित वेतन और भत्तों से जुड़ा हुआ है। जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने से स्थापना लागत को न्यूनतम स्तर पर रखा जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम ने मानव संसाधनों की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने के लिए अपनी जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए केंद्रित प्रयास किए हैं। वर्तमान में, निगम के स्टाफिंग मानदंडों की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा मैसर्स सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के माध्यम से की जाती है जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनिवार्य है और इसके कार्यान्वयन के लिए लेखा परीक्षा की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

यह माना जाता है कि इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ, समग्र स्टाफिंग मानदंड अधिक तर्कसंगत हो जाएंगे, जिससे स्थापना लागत न्यूनतम हो जाएगी।

**4.10 समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम की संस्थापना लागत जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रापण, परिवहन तथा खाद्य राजसहायता के तौर पर खाद्यान्नों के भंडारण पर खर्च हुए व्यय के साथ बहुत ज्यादा अर्थात् 2430 करोड़ रुपये है जिसमें खाद्य राजसहायता के बड़े भाग के रूप में संस्थापना लागत को पूरा करने में जाती है। समिति भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की सराहना करती है ताकि इसकी जनशक्ति को औचित्यपूर्ण करके मानव संसाधन की प्रभावकारिता के अनुकूल बनाया जा सके। समिति को यह भी बताया गया है कि निगम के स्टाफिंग मानदंडों की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा की सिफारिशें कार्यान्वयन के जांच आधीन है। समिति यह भी चाहती है कि उसे उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जाए। वर्षों से हमेशा बढ़ रहे खाद्य राजसहायता विधेयक पर विचार करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि भारतीय खाद्य निगम को समुचित**

उपाय करने चाहिए ताकि विशेषकर अच्छे शासन के लिए तथा स्टाफिंग मानदंडों हेतु केंद्र की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को देखते हुए संस्थापना लागत को औचित्यपूर्ण किया जाए और इसे और कम किया जा सके।

(ग) भंडारण क्षमता

(i) भंडारण गोदामों का निर्माण

4.11 भारतीय खाद्य निगम की स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता का निर्माण केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम पीईजी स्कीम के अंतर्गत पीपीपी पद्धति में निजी निवेशकों, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी के माध्यम से क्षमता बढ़ा रहा है।

4.12 विभाग ने समिति को सूचित किया कि भारतीय खाद्य निगम, पूर्वोत्तर राज्यों के ध्यान में रखकर केंद्रीय निधियों का उपयोग करके नए गोदामों का निर्माण कर रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 (अब तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित गोदामों का विवरण निम्नानुसार है:

(क्षमता टन/ रुपए करोड़ में)

वर्ष	उत्तरपूर्वी				उत्तरपूर्वीके अलावा			
	वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2019-20	32520	2500 टन (चुराचांदपुर/ मणिपुर/2500 टन  (दिनांक04.01.2020 कोपूर्ण)	45.00	27.96	2500	शून्य	4.00	4.28
2020-21	30020	शून्य	25.00	29.70	6220	शून्य	15.00	4.98

2021-22 (दिनांक 08.02.2022 तक)	30020	20000 टन पूर्ण (दिनांक 29.04.2021 को धेमाजी/असम पूर्ण)	25.00	14.28	26220	शून्य	7.46	2.74	
		35020 टन जिन परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर हैं वे कोकराझार/असम/ 15000 टन, आलो/एआर. पीडी /1670 टन, रोइंग/एआर. पीडी /1120 टन, बाघमारा/मेघालय/ 2500 मीट्रिक टन, तामेंगलॉग/मणिपुर/ 4730 टन सैरंग/मिजोरम/ 10000 टन हैं।				26200 टन जिन परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है वे मंडी/हि.प्र./3340 टन, पालमपुर/हि.प्र./ 2240 टन, रिकोंगपियो/हि.प्र./ 640 टन, इटखोरी/झारखंड/ 10000 टन पौरैयाहाट/झारखंड/ 10000 टन हैं			
		23340 टन सिलचर/असम/20000 और चंपई/मिजोरम/ 3340 टन की परियोजनाओं को शीघ्र शुरू किया किया जाएगा।				15000 टन दुमका पीएच-2/झारखंड/15000 टन की परियोजनाओं को शीघ्र शुरू किया किया जाएगा।			

4.13 समिति ने वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में धीमी प्रगति के कारणों के बारे में भी पूछताछ की जिसपर मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया: -

1. कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन।
2. राज्य सरकारें, पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में भूमि अंशों को समय पर सौंपने में सक्षम नहीं हुए हैं।
3. खराब मौसम
4. स्थानीय हस्तक्षेप और कानून और व्यवस्था की स्थिति।
5. मुश्किल भौगोलिक भूभाग

4.14 मंत्रालय ने निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना (दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार) के तहत निर्माणाधीन क्षमता का राज्यवार विवरण उपलब्ध कराया जोकि निम्नानुसार है:-

(आंकड़ेलाखमीट्रिक टनमें)

क्रं सं.	राज्य	निर्माणाधीनक्षमता
1	आंध्र प्रदेश	25,000
2	बिहार	12,500
3	छत्तीसगढ़	0
4	गुजरात	0
5	हरियाणा	32,300
6	हिमाचल प्रदेश	61,690
7	जम्मू और कश्मीर	4,160
8	झारखंड	63,000
9	कर्नाटक	0
10	केरल	0
11	मध्य प्रदेश	76,500
12	महाराष्ट्र	0
13	उड़ीसा	0
14	पंजाब	0
15	राजस्थान	0
16	तमिलनाडु	0
17	तेलंगाना	20,000
18	उत्तर प्रदेश	275,000
19	उत्तराखंड	0
20	पश्चिम बंगाल	10,000
21	असम	0
22	मेघालय	15000
<b>कुल</b>		<b>595,150</b>

4.16 समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के बारे में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 30020 मीट्रिक टन थे, लेकिन 2000 मीट्रिक टन के लक्ष्य को 08.02.2022 तक अर्थात् 66.6% प्राप्त कर लिया गया है।

वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण 25 करोड़ रुपये था परंतु 08.02.2020 तक उपलब्धि 14.28 करोड़ रुपए अर्थात् 57% बैठती है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 26220 मीट्रिक टन था, परंतु इसकी उपलब्धि शून्य थी। वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कम प्रगति के बताए गए कारण, कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है, राज्य सरकारे पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में भूमि पार्सलों की समय पर सुपुर्दगी में सक्षम नहीं है, कठोर मौसम, स्थानीय हस्तक्षेप तथा कानून व्यवस्था तथा कठिन भौगोलिक भूभाग अन्य कारण है। समिति को विश्वास है कि भंडारण की जगह की अपर्याप्तता पूर्वोत्तर के राज्यों में दक्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से यह अलाभकारी स्थिती में ढकेल देते हैं।

इसलिए समिति पुरजोर रूप से या सिफारिश करती है कि अब जब कोविड-19 महामारी की स्थिति काफी ठीक हो गई है, भारतीय खाद्य निगम को गोदामों का निर्माण विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर से इतर को प्राथमिकता के आधार पर करने के प्रयास बढ़ाने चाहिए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक पहुंचे।

**(ii) भंडारण और पारगमन हानि**

4.17 कृषि और वाणिज्यिक स्तर पर खाद्यान्नों के भंडारण और पारगमन हानियों को कम करने के लिए, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों के हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन की प्रणाली को कम करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को लाने के लिए, सरकार ने जुलाई 2000 में खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन पर एक राष्ट्रीय नीति को अनुमोदित किया है। इस नीति के अंतर्गत, बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ) आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से 550 लाख टन की एकीकृत बल्क हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन सुविधाएं सृजित की गई थीं। मेसर्स अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को इस परियोजना के लिए डेवलपर-सह-ऑपरेटर के रूप में चुना गया था। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के पास अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स के साथ बीओओ समझौते के तहत 20 वर्षों के लिए स्टील साइलो हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

सर्किट-I		सर्किट-II	
स्थान	क्षमता (लाख टन में)	स्थान	क्षमता (लाख टन में)
बेस डिपो मोगा (पंजाब)	2.00	बेस डिपो कैथल (हरियाणा)	2.00
फ़ील्ड डिपो:		फ़ील्ड डिपो:	
चेन्नई (तमिलनाडु)	0.25	नवी मुंबई (महाराष्ट्र)	0.50
कोयंबटूर (तमिलनाडु)	0.25	हुगली (प. बंगाल)	0.25
बंगलौर (कर्नाटक)	0.25		
कुल:	2.75	कुल:	2.75



4.18 समिति द्वारा भंडारण और पारगमन हानियों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और धान) के लिए भंडारण और पारगमन हानियों की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

**भंडारण हानि:**

वर्ष	जारी की गई मात्रा (लाख टन में)	हानि की मात्रा (लाख टन में)	हानि का %	हानि का मूल्य (करोड़ में)
2019-20 *	868.50	-1.17	-0.14	-171.37
2020-21 #	1312.95	-1.74	-0.13	-267.03
2021-22 # (दिसंबर, 2021 तक)	919.77	-1.74	-0.19	-335.01

[(-) चिह्न लाभ को दर्शाता है, मात्रा: मात्रा \* लेखा परीक्षित आंकड़ों को दर्शाता है, # अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है]

**पारगमन हानि:**

वर्ष	जारी की गई मात्रा (लाख टन में)	हानि की मात्रा (लाख टन में)	हानि का %	हानि का मूल्य (करोड़. में)
2019-20 *	409.64	0.94	0.23	257.92
2020-21 #	618.74	1.49	0.24	426.85
2021-22 # (दिसंबर, 2021 तक)	438.75	1.04	0.24	295.65

मात्रा: मात्रा \* लेखा परीक्षित आंकड़ों को दर्शाता है, # अनंतिम आंकड़ों को दर्शाता है)

4.19 समिति ने उन उपायों के बारे में पूछताछ की जो इस तरह के नुकसान को दूर करने के लिए किए गए हैं/किए जा रहे हैं, विभाग ने निम्नानुसार उल्लेख किया: -

#### **भंडारण हानियों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम:**

- समय-समय पर निर्धारित और मानसून-पूर्व धूमन के रूप में स्टॉक का आवधिक रोगनिरोधी और उपचारात्मक उपचार किया जाता है।
- खरीद के समय खाद्यान्नों की उचित गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।
- गोदामों को सुरक्षित करने के लिए चहारदीवारी पर कंटीली तारों की बाड़ लगाना, गोदामों की रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था और शेडों को उचित रूप से बंद करने जैसे भौतिक उपाय किए जाते हैं।
- निगरानी और बेहतर पर्यवेक्षण के लिए कई डिपो में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- भारतीय खाद्य निगम के साथ-साथ अन्य एजेंसियों जैसे होमगार्ड, डीजीआर प्रायोजित एजेंसी और विशेष पुलिस अधिकारियों और राज्य सशस्त्र पुलिस के सुरक्षा कर्मचारियों को स्टॉक की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।
- सुरक्षा निरीक्षण के साथ-साथ डिपुओं की औचक जांच विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर की जा रही है ताकि किसी भी सुरक्षा चूक का पता लगाया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके।
- जहां कहीं भी अनुचित हानि पाई जाती है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

#### **पारगमन हानि**

- पारगमन हानियों की प्रवृत्ति की बारीकी से निगरानी करने और उन्हें कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए मुख्यालय/ईडी (जोन)/जीएम (क्षेत्र) पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर टीएल की क्षेत्र-वार प्रवृत्ति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और ईडी (जोन)/जीएम (क्षेत्र) को सलाह दी जाती है कि वे उपचारात्मक कार्रवाई करें/अधिक पारगमन हानियों को दर्शाने वाले डिपुओं की निगरानी तेज करें।
- बिखरे हुए अनाज को पुनः प्राप्त करने के लिए रेलवे वैगनों के फर्श पर पॉलीथिन शीट बिछाना।
- उच्च टीएल मामलों के संयुक्त सत्यापन के संबंध में एक 'एसओपी' दिनांक 23.12.2015 के परिपत्र के माध्यम से पेश किया गया है और इसे 16.02.2017 द्वारा संशोधित किया गया है।
- प्रत्येक एमपीआर बैठक में नियमित कार्यसूची मर्दों के रूप में टीएल की प्रवृत्ति की क्षेत्रवार समीक्षा की जा रही है।
- डिस्पैचिंग और प्राप्तकर्ता केंद्रों पर संवेदनशील बिंदुओं को ईडी (जोन) और जीएम क्षेत्र के स्तर पर गहन जांच के लिए पहचान की जाती है।
- फील्ड अधिकारियों द्वारा विशेष दस्ता जांच बनाकर चुनिंदा रेल शीर्षों और गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों की जांच की जा रही है।
- रेकों की लोडिंग और अनलोडिंग के समय स्वतंत्र कंसाइनमेंट सर्टिफिकेशन स्कॉड (आईसीसीएस) की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है।
- प्राप्ति और निर्गम के समय उचित तौल और लेखांकन सुनिश्चित किया जाता है।
- जहां कहीं भी असामान्य/अनुचित पारगमन हानि की सूचना मिलती है, अपराधियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

### **भंडारण और पारगमन हानि को नियंत्रित करने के लिए नई पहलें:-**

1. उच्च टीएल मामलों के संयुक्त सत्यापन के संबंध में एक 'एसओपी' दिनांक 23.12.2015 के परिपत्र के माध्यम से निर्धारित किया गया है और दिनांक 16.02.2017 के परिपत्र द्वारा इसे संशोधित किया गया है। सितंबर, 21 से 0.75% से अधिक पारगमन हानि की सूचना देने वाले रेकों के संबंध में संयुक्त सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी पहले 1% की सीमा थी।
2. 0.50% से अधिक आरटीएल दिखाने वाले डिपो के लिए, 20% रेकों की लोडिंग/अनलोडिंग की देखरेख क्षेत्र प्रबंधक/एजीएम (क्यूसी)/आर.ओ. के श्रेणी-1 अधिकारी द्वारा की जा रही है और 0.30% से 0.50% की सीमा के भीतर आरटीएल के मामले में, 10% रेकों की लोडिंग/अनलोडिंग की देखरेख क्षेत्र प्रबंधक/एजीएम (क्यूसी)/आर.ओ. के श्रेणी-1 अधिकारी द्वारा की जाती है। क्षेत्र कार्यालय के 02 उच्चतम संग्रहण हानि मामलों की जांच प्रभागीय प्रबंधक/एजीएम (क्यूसी) द्वारा की जानी है।
3. जीएम (क्षेत्र) को प्रत्येक माह क्षेत्र में रिपोर्ट की गई उच्चतम एसएल और टीएल/गंतव्य कमी के एक-एक मामले की जांच करनी होती है और जांच रिपोर्ट अगले महीने की 20 तारीख तक क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से मुख्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्रीय दस्ता कम से कम 10% रेकों की निगरानी भी करेगा। 06 महीनों के लिए लगातार घाटे की उच्च प्रवृत्ति की रिपोर्ट करने वाले डिपो के मामले में डिपो कर्मचारियों को स्थानापन्न किया जाना चाहिए।
4. ईडी (जोन) को हर महीने जोन में उच्चतम एसएल और टीएल/गंतव्य की कमी के एक-एक मामले की जांच करनी होती है और जांच रिपोर्ट अगले महीने की 20 तारीख तक मुख्यालय को उनके नियंत्रणाधीन जीएम (क्षेत्रों) की रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। जोनल कार्यालय हर महीने उच्च एसएल/टीएल/गंतव्य की कमी की सूचना देने वाले डिपो की सूची भी तैयार करेगा और घाटे की निगरानी के लिए कुख्यात डिपो की पहचान करेगा। एसएल और टीएल/गंतव्य की कमी के प्रत्येक 3 मामलों की जांच ईडी (जोन)/जीएम (क्षेत्र) के अलावा जोनल ऑफिस जीएम (एसटीएल)/डीजीएम (एसटीएल) द्वारा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जोनल दस्ता कुख्यात डिपुओं के संबंध में जोन में न्यूनतम 3 रेकों की लोडिंग/अनलोडिंग की निगरानी भी करेगा।

4.20 पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यालय के सतर्कता दस्ते द्वारा की गई नियमित/औचक जांच की कुल संख्या निम्नानुसार है-

वर्ष	मुख्यालय के सतर्कता दस्ता द्वारा जाँच की संख्या
2019-20	76

2020-21	31
2021-22 (31.12.2021 तक)	58

निरीक्षणों/जांचों की आवृत्ति मुख्यरूप से चुनिंदा संवेदनशील जिलों में खरीफ/रबी विपणन मौसमों में खाद्यान्नों की खरीद से संबंधित है और निरीक्षणों की आवृत्ति में वृद्धि शिकायतों सहित विभिन्न प्राप्तियों पर निर्भर करती है।

4.21 विभाग ने यह भी सूचित किया कि असाधारण पारेषण हानियों और अनुचित भंडारण हानियों के मामलों की जांच की जाती है और जिम्मेदार पाए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों (2019-20, 2020-21 और 2021-22) में जिन मामलों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है, उन मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	संग्रहण हानि	पारेषण हानि
2019-20	258	114
2020-21	257	92
2021-22 (31.12.2021 तक)	224	123

हानियों की जांच के तुरंत बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की जाती है, और आज की तारीख तक कोई मामला लंबित नहीं है।

**4.22** समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान मार्गस्थ हानिया क्रमशः 257.92 करोड़, 426.85 करोड़ और 295.65 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2021) तक थी। गत वर्ष कीमतों को देखते हुए, मार्गस्थ हानियां 2021-22 के दौरान, दिसंबर, 2021 तक, यह कम होकर 295.65 करोड़ रुपये हो गई थी। हालांकि यह वर्ष 2019-20 की तुलना में 257.92 करोड़ रुपये है जो अभी भी ज्यादा है। समिति महसूस करती है कि ये हानि या अभी भी अधिक है इनमें और अधिक कमी करने की जरूरत है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि गत तीन वर्षों

अर्थात् वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, मुख्यालय सतर्कता दस्तों द्वारा की गई नियमित/औचक जांचों की कुल संख्या क्रमशः 76, 31 और 58 है जो संख्या काफी कम है। जुड़े मार्गस्थ कार्य की उदारता को देखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तथा औचक निरीक्षण की संख्या तथा को बढ़ाने की जरूरत है। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि भारतीय खाद्य निगम को अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगम की हानि कम हो।

(iii) साइलो का निर्माण

4.23 योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा मैसर्स मॉट मैकडोनाल्ड नामक परामर्शदाता के जरिए एक अध्ययन कराया गया था। परामर्शदाता ने नवम्बर, 2011में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और यह निष्कर्ष निकाला था कि यद्यपि साइलो की स्थापना लागत पारंपरिक गोदामों की स्थापना लागत की अपेक्षा अधिक हो सकती है लेकिन लम्बे समय के लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता का हास, कम भंडारण हानि, जूट बैग की जरूरत को समाप्त करना, श्रम पर कम निर्भरता और मंहगी कृषि योग्य भूमि की कम जरूरत जैसे अन्य लाभों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक गोदामों की अपेक्षा साइलोज का विकल्प वास्तव में काफी किफायती हो सकता है। इसके अलावा, साइलोज के दूसरे लाभों में लम्बी शेल्फ लाइफ, उपभोक्ताओं के लिए खद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार, आसान अनाज प्रबंधन, कम भूमि की आवश्यकता और चोरी का कोई जोखिम न होना शामिल है।

तत्पश्चात्, श्री शांता कुमार की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर देश भर में 100 लाख टन साइलो के निर्माण के लिए एक कार्य योजना अनुमोदित की। वर्ष 2016 के बाद, 11.125 लाख टन की क्षमता के साथ साइलो को पूरा कर लिया गया है और इसे उपयोग में लाया गया है और 18.125 लाख टन साइलो क्षमता कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है:

**आंकड़े लाख टन में (अवस्थलों की संख्या)**

एजेंसी	लक्ष्य	पूर्ण क्षमता/ 2016 के बाद के स्थानों की संख्या	कार्यान्वयन के अंतर्गत	कुल
एफसीआई	29	5.125/10*	16.625/ 33	21.75/43
सीडब्ल्यू सी	2.5	0	0	0

राज्य सरकार	68.5	6/12	1.5/3	7.5/15
कुल	100	11.125/22	18.125/ 36	29.25/58

\* कुल क्षमता 50000 टन में से 37500 टन की क्षमता के लिए भट्टू स्थान आंशिक रूप से तैयार हो गया है।

उपर्युक्त 2925 लाख टन के अतिरिक्त, हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत 249 स्थानों पर 111125 लाख टन की क्षमता के साथ-साथ बोली दस्तावेजों के साथ-साथ मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए मंत्रालय से सिफारिश की गई है।

थोक रूप में भंडारण/संचलन के निम्नलिखित लाभ हैं:

- 1) हानियों को न्यूनतम करने के लिए पारगमन हानि में कमी ।
- 2) लंबे शेल्फ जीवन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संरक्षण।
- 3) मशीनीकृत लोडिंग/अनलोडिंग की सहायता से त्वरित आवाजाही।

यह प्रणाली तब कुशल और प्रभावी होती है जब साइलो परिसर में ही गेहूं के स्टॉक को थोक रूप में खरीदा जाता है और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से साइलो डिब्बे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे बोरियों के उपयोग को समाप्त कर दिया जाता है और मंडी /खरीद बिंदुओं से इसका हैंडलिंग और पारेषण किया जाता है।

16.625 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले साइलो का निर्माण किया गया और उपयोग में हैं, जिनमें से सड़क से चलने वाले साइलो की क्षमता 6.00 लाख मीट्रिक टन (मध्य प्रदेश 4.50 लाख मीट्रिक टन, पंजाब 1.50 लाख मीट्रिक टन) है और रेलवे साइडिंग सुविधा की क्षमता 10.625 लाख मीट्रिक टन है (10.625 में से 1.625 लाख मीट्रिक टन), 1.875 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए रेलवे साइडिंग सुविधा पटियाला (0.50 लाख मीट्रिक टन), भट्टू (0.375 एलएमटी) और संगरूर (01 लाख मीट्रिक टन) स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही है।

4.24 साक्ष्य के दौरान विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया--

"तत्पश्चात्, साइलो के संबंध में तीन या चार प्रश्न थे। इसलिए, मैं उन्हें संयोजित करूंगा। साइलो के निर्माण का निर्णय किसी विशेष स्थान या राज्य की भंडारण में कमी संबंधी आवश्यकता पर आधारित है। या तो यह एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि यदि यह पंजाब और हरियाणा की तरह बहुत अधिक उत्पादन करता है, तो साथ-साथ विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न की दुलाई के बावजूद भी आपके पास अधिशेष बचेगा और इसलिए, आपको उन राज्यों में पर्याप्त भंडारण सुविधा की आवश्यकता है। अथवा, आपको उपभोक्ता क्षेत्रों में भंडारण करने की आवश्यकता है जहां वितरण चार से छह माह तक होगा।

इसलिए, आप वहां अनाज का स्टॉक करें और उनका भंडारण करें। अब तक हम 25,000-50,000 मीट्रिक टन के आकार के साइलो निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह वह मॉड्यूल है जो लागत के मामले में सबसे इष्टतम है।"

4.25 विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन साइलो का निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है:

रोड-फेड साइलो		रेल-फेड साइलो	
राज्य सरकार		भारतीय खाद्य निगम	
स्थान	क्षमता (लाख टन में)	स्थान	क्षमता (लाख टन में)
हर्दा (एमपी)	0.50	सर्किट -I	
होशंगाबाद (एमपी)	0.50	बेस डिपो मोगा (पंजाब)	2.00
देवास (एमपी)	0.50	फील्ड डिपो:	
सतना (एमपी)	0.50	चेन्नई (तमिलनाडु)	0.25
शिहोर (एमपी)	0.50	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	0.25
उज्जैन (एमपी)	0.50	बंगलौर (कर्नाटक)	0.25

विदिशा (एमपी)	0.50	कुल	2.75
भोपाल (एमपी)	0.50	सर्किट - II	
इंदौर (एमपी)	0.50	बेस डिपो कैथल (हरियाणा)	2.00
सुनाम (पंजाब)	0.50	फिल्ड डिपो:	
मलेरकोटला (पंजाब)	0.50	नवी मुबई (महाराष्ट्र)	0.50
अहमदगढ़(पंजाब)	0.50	हुगली (पश्चिम बंगाल)	0.25
<b>कुल</b>	6.00	<b>कुल</b>	2.75



4.26 यह पूछे जाने पर कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टील साइलोज के हब और स्पोक मॉडल के कार्यान्वयन के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है, विभाग ने उल्लेख किया कि हालांकि, रेलवे साइडिंग के लिए भूमि अधिग्रहण आदि जैसी कई समस्याएं पूर्व में प्रस्तावित रेलवे साइडिंग साइलो के विकास के दौरान सामने आई हैं, ताकि साइलो के निर्माण की प्रगति को तेजी से ट्रैक किया जा सके। हब एंड स्पोक मॉडल पेश किया गया है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 111.125 लाख टन गेहूं साइलो का निर्माण करने का प्रस्ताव है। चरण-1 में 34.75 लाख टन के साथ निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा। बोली दस्तावेज मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए डीएफपीडी को प्रस्तुत किए गए हैं। इसकी मंजूरी के बाद टेंडर निकाला जाएगा। निर्माण की जाने वाली राज्यवार क्षमता का विवरण इस प्रकार है:

**"हब एंड स्पोक मॉडल के तहत राज्यवार क्षमता दिखाने वाला विवरण:**

क्षमतालाखटनमें															
क्र. सं.	राज्यकानाम	डीबीएफओओ				डीबीएफओटी				कुल					
		हब		स्पोक		हब		स्पोक		हब		स्पोक		कुल	
		सं	क्षमता	सं	क्षमता	सं	क्षमता	सं	क्षमता	सं	क्षमता	सं	क्षमता	सं	क्षमता
1.	पंजाब	2	1	44	17	1	1.5	0	0	3	2.5	44	17	47	19.5
2.	हरियाणा	6	3	31	8	0	0	0	0	6	3	31	8	37	11
3.	मध्य प्रदेश	0	0	10	4.25	0	0	0	0	0	0	10	4.25	10	4.25
4.	उत्तर प्रदेश	7	6.5	29	8	3	2.75	4	2.5	10	9.25	33	10.5	43	19.75
5.	राजस्थान	6	3	14	6.75	0	0	1	0.75	6	3	15	7.5	21	10.5
6.	गुजरात	0	0	16	8	1	0.375	2	0.5	1	0.375	18	8.5	19	8.875
7.	महाराष्ट्र	3	2.25	18	9.5	1	1.25	1	0.25	4	3.5	19	9.75	23	13.25
8.	बिहार	1	0.5	23	12	0	0	1	0.5	1	0.5	24	12.5	25	13
9.	पश्चिम बंगाल	5	3	13	5.75	0	0	0	0	5	3	13	5.75	18	8.75
10.	जम्मू	0	0	2	1.25	0	0	0	0	0	0	2	1.25	2	1.25
11.	उत्तराखंड	0	0	2	0.5	0	0	0	0	0	0	2	0.5	2	0.5
12.	केरल	0	0	2	0.5	0	0	0	0	0	0	2	0.5	2	0.5
	<b>कुल</b>	<b>30</b>	<b>19.25</b>	<b>204</b>	<b>81.5</b>	<b>6</b>	<b>5.875</b>	<b>9</b>	<b>4.5</b>	<b>36</b>	<b>25.125</b>	<b>213</b>	<b>86</b>	<b>249</b>	<b>111.125</b>

हब एंड स्पोक मॉडल के तहत अगले 4-5 वर्षों में 3 चरणों में साइलो का निर्माण किया जाएगा।"

4.27 समिति खाद्यान्नों के बल्क भंडारण का एक उच्च मशीनीकृत तथा वैज्ञानिक तरीके की बल्क संभलाई सुविधाओं के साथ स्टील साइलोज भंडारण को नोट करती है। ये खाद्यान्नों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं और उनके शेल्फ जीवन में बढ़ोतरी करती है। समिति यह भी महसूस करती है कि यदि सिलो भंडारण को अंगीकृत किया जाता है तो इससे भंडारण, मार्गस्थ हानि तथा चोरी से होने वाली हानि पारम्परिक गोदामों/वेयर हाउसों में भंडारण की तुलना में कम होगी। साइलोज (मिनारनुमा ढांचा) का संचालन चौबीसों घंटे किया जा सकता है इसलिए इससे समग्र दक्षता में सुधार होगा। समिति को लगता है कि देश भर में प्रापण और खपत स्थलों के समीप छोटे आकार के साइलोज लगाने से भारतीय खाद्य निगम की परिवहन लागत में काफी कमी आएगी क्योंकि इससे अनेक स्थलों से संचालन से बचने में मदद मिलेगी। समिति को यह भी बताया गया है कि 111-125 एलएमटी गेहूं साइलोज का निर्माण कार्य प्रस्तावित था तथा इसका निर्माण कार्य तीन चरणों में होना था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभाग को मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु चरण-एक के दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं। समिति प्रस्ताव की स्थिति से अवगत होना चाहती है। इसके अलावा, समिति मंत्रालय से पुरजोर रूप से सिफारिश करती है वह पूरे देश में नियोजित तरीके से हब और स्पोक मॉडल के बारे में साइलोज के नेटवर्क को सृजित करे। समिति आगे यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि ये साइलोज समस्त राज्यों में एक समान रूप से लगाए जाने चाहिए तथा साइलोज को लगाने के स्थलों की पूरी तरह से पहचान भी करनी चाहिए।

**अध्याय- पांच**  
**चीनी क्षेत्र का प्रबंधन**

भारत दुनिया में चीनी और गन्ने के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और चीनी उद्योग ग्रामीण भारत में स्थित सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। लगभग 45 मिलियन गन्ना किसान, उनके आश्रित और खेतिहर मजदूरों का एक बड़ा समूह गन्ने की खेती, कटाई और सहायक गतिविधियों में शामिल है जो ग्रामीण आबादी का 7.5 प्रतिशत है। देश के चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।

5.2 चीनी को वर्ष 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता है, जो भारत सरकार को चीनी उद्योग में हस्तक्षेप और विनियमित करने की अनुमति देता है। सामान्य चीनी मौसम में चीनी का उत्पादन लगभग 310-320 लाख टन (एलएमटी) है, जबकि घरेलू खपत लगभग 260 लाख टन है, जिससे चीनी मिलों के पास पर्याप्त पिछला स्टॉक रह जाता है।

(क) चीनी का उत्पादन

5.3 विगत में, भारत में चीनी का उत्पादन चक्रीय प्रकृति का रहा है। प्रत्येक 3-4 वर्षों के दौरान चीनी के अधिक उत्पादन के पश्चात अगले 2-3 वर्षों में चीनी का कम उत्पादन होता था। चीनी मौसम 2010-11 से चीनी मौसम 2015-16 तक देश में चीनी का उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं से अधिक रहा है। चीनी मौसम 2016-17 के दौरान प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में सूखा पड़ने के कारण मांग की तुलना में उत्पादन कम था। तथापि, चीनी मौसम 2017-18 से घरेलू मांग की तुलना में उत्पादन अधिक रहा है। गन्ने की उन्नत किस्म के कारण आगामी मौसमों में गन्ने/चीनी का उत्पादन आवश्यकता से अधिक रहने की संभावना है। इस प्रकार, चीनी उत्पादन की चक्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी के उत्पादन, खपत, मांग, उपलब्धता और पिछले स्टॉक, बफर स्टॉक, आयात-निर्यात का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

विवरण	चीनी मौसम 2019-20	चीनी मौसम 2020-21	चीनी मौसम 2021-22 (अनु.)

पिछला स्टॉक	145.00	110.00	85.00
चीनी उत्पादन	274 (9 लाख टन के डायवर्जन की छूट देने के बाद)	310.00 (24 लाख टन के डायवर्जन की छूट देने के बाद)	308.00 (35 लाख टन के डायवर्जन की छूट देने के बाद)
आयात	-	-	-
उपलब्धता	419	420.00	393.00
खपत/मांग	249.00	265.00	270.00
निर्यात	60.00	70.00 (लक्ष्य से 10 लाख टन अधिक)	50.00 (कोई सब्सिडी प्रस्तावित नहीं है)

(अनु.) - अनुमानित

- 5.4 गन्ने के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) की दरोंके बारे में पूछे जाने पर,विभाग ने उल्लेख किया कि केंद्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(1) में उल्लिखित कारकों के संबंध में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करने के पश्चात गन्नेका उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है जिसे पहले सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) कहा जाता था। यह बेंचमार्क मूल्य है जिससे कम में कोई भी चीनी मिल किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती है। पूरे देश में गन्ने की रिकवरी दर से जुड़े एफआरपी एक समान है और इसे राज्य-वार निर्धारित नहीं किया जाता है। हांलाकि, चार राज्य यथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा भी राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) का भी निर्धारण करते हैं जो एफआरपी से अधिक होता है।

वर्तमान चीनी मौसम 2021-22 हेतु उचित और लाभकारी मूल्य 10% के मूल रिक्वरी दर के लिए प्रति क्विंटल 290/- रुपए है; जो 10% से अधिक की रिक्वरी में प्रति 0.1 % की वृद्धि के लिए प्रति क्विंटल 2.90/- रुपए प्रीमियम प्रदान करता है और रिक्वरी दर में प्रति 0.1% की कमी के लिए उसी दर पर उचित और लाभकारी मूल्य में कटौती करता है। 9.5% या 9.5% से कम के रिक्वरी स्तर के मिलों पर कोई कटौती नहीं होगी। वर्ष 2019-20 से प्रत्येक चीनी मौसम के लिए चीनी कारखानों द्वारा गन्ना देयताओं की एफआरपी को नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

चीनीमौसम	एफआरपी(रुपयेप्रतिक्विंटल)	आधारभूतरिक्वरीदर
2019-20	275.00	10.00%
2020-21	285.00	10.00%
2021-22	290.00	10.00%

5.5 समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को चीनी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से अवगत कराया। जो निम्नानुसार हैं:-

- प्रत्येक चीनी मौसम में, चीनी का उत्पादन 260-270 एलएमटी की घरेलू खपत की तुलना में लगभग 320-330 एलएमटी होता है;
- 60 एलएमटी के अतिरिक्त स्टॉक से निधियों में रुकावट आती है और चीनी मिलों की तरलता प्रभावित होती है जिसके परिणामस्वरूप गन्ना मूल्य बकाया का संचय होता है। सरकार ने चीनी मिलों की तरलता में सुधार लाने के लिए पिछले 7 वर्षों में निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि वे किसानों के गन्ना मूल्य के बकाए का भुगतान कर सकें
- बैंकों से चीनी मिलों द्वारा लिए गए 18,231 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की तुलना में 3584 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता प्रदान की गई।
- मिलों को नकद हानि को रोकने के लिए, चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने की अवधारणा शुरू की गई (प्रारंभ में 07-06-2018 से 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर; 14-02-2019 से संशोधित करके 31 रुपये प्रति किलोग्राम)।
- अतिरिक्त चीनी के निर्यात को सुकर बनाने के लिए चीनी मिलों को 12,800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई।
- बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए मिलों को 1850 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- एथेनॉल के लिए अतिरिक्त चीनी का विपथन।

- इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ब्याज सहायता का विस्तार।

5.6 यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार गन्ना उत्पादकों और गन्ना उद्योग के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों को लागू करने का प्रस्ताव कर रही है, इस पर विभाग ने उल्लेख किया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए, केन्द्र सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 (1) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य एक सांविधिक न्यूनतम मूल्य है जिससे कम मूल्य पर कोई चीनी उत्पादक गन्ना किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकता। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में यह निर्धारित किया गया है कि गन्ने के मूल्य का भुगतान इसकी आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किया जाए, ऐसा न करने पर 14 दिनों के बाद की देरी की अवधि के लिए देय राशि पर 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होता है।

इसके अलावा, गन्ना किसानों को बकाया राशि के भुगतान को सुसाध्य बनाने के लिए केंद्रीय सरकार समय-समय पर जब और जैसे आवश्यकता हो नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में विभिन्न कदम उठाती है।

मिलों के नकद नुकसान को रोकथाम के लिए सरकार ने चीनी मौसम 2017-18 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और सबसे कुशल मिलों की न्यूनतम नकद रूपांतरण लागत को ध्यान में रखते हुए चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 के माध्यम से सफेद चीनी का 29 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। चीनी मौसम 2018-19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को पुनः संशोधित कर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। जून, 2018 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत से चीनी की अखिल भारतीय मिल द्वारा मूल्य में 24-27 रुपये प्रति किलोग्राम से 31-34 रुपये प्रति किलोग्राम तक सुधार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, यह उम्मीद की जाती है कि अधिशेष चरणों में वित्तीय सहायता के रूप में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यूनतम हो सकती है और यह सरकारी हस्तक्षेपों पर क्षेत्र की निर्भरता को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में कार्य कर सकती है।

सरकार अतिरिक्त चीनी को डायवर्ट कर इथेनॉल के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार ने गन्ने के रस, चीनी सिरप, चीनी, भारतीय खाद्य निगम के मक्का/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों और चावल से इथेनॉल के उत्पादन की भी अनुमति दी है और इन फीड स्टॉक से प्राप्त इथेनॉल के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित किया है।

5.7 समिति नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष 2017-18 में चीनी के मौसम से, चीनी का उत्पादन घरेलू मांग से अधिक है। वर्ष 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान, चीनी का उत्पादन 270 एलएमटी की मांग की तुलना में 308 एलएमटी है। वर्षों से चीनी उत्पादन में वृद्धि सरकार के प्रयासों तथा गन्ने की उन्नत किस्म के कारण है। समिति आशा करती है कि गन्ने/चीनी का उत्पादन चीनी उत्पादन में चक्रीयता में कटौती के साथ आगामी चीनी मौसम में अतिरिक्त चीनी होने की संभावना के कारण है। समिति आशा करती है कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण करते समय, गन्ना उत्पादक किसानों के हितों पर भी विचार किया जाता है। इसके अलावा, चीनी का अतिरिक्त स्टॉक चीनी की चल निधि की स्थिति प्रभावित कर रहा है। चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या पर काबू पाने के लिए, सरकार ने गन्ने से इथॉनाल का उत्पादन, बी-हैवी शीरा, चीनी और चीनी का रस चीनी जिलों की चल निधि में सुधार हो सके और वे लोग अपने गन्ने बकाया को दे सके। समिति आशा करती है कि विभाग गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाएगा तथा गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य समय से घोषित किया जा सके और आगामी वर्षों के गन्ने की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके।

#### (ख) इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के तहत इथेनॉल उत्पादन

5.8 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की आपूर्ति के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम (ईबीपी) वर्ष 2003 में 9 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का विस्तार समग्र भारत में किए जाने की आवश्यकता थी जिसका विस्तार वर्तमान सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में कर दिया गया था।

Ø इस जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ईबीपी के अंतर्गत ब्लेंडिंग लक्ष्यों को 2022 में 5% से बढ़ाकर 10% और 2025 तक 20% कर दिया है।

Ø इथेनॉल खरीद के लिए विभिन्न मूल्य निर्धारित किए गए जो प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर आधारित हैं।

Ø सरकार ने बी-हैवी शीरा, गन्ने का रस, चीनी सीरप और चीनी से भी इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है।

Ø इथेनॉल मौसम के लिए सी-हैवी शीरा, बी-हैवी शीरा और गन्ने का रस/चीनी/चीनी सीरप से तैयार किए गए इथेनॉल के लाभकारी एक्स-मिल मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

5.9 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या इथेनॉल के उत्पादन ने चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसकी उपलब्धता में कमी आई है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि चीनी मौसम 2017-18 से चीनी का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है और देश में मांग की तुलना में बहुत अधिक है। चीनी के अतिरिक्त स्टॉक से चीनी की कीमतों में गिरावट आई है जिससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे में, चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने गन्ने के रस, बी-हैवी शीरा, चीनी और चीनी सिरप से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति भी दी है और सी-हैवी शीरे से प्राप्त इथेनॉल का लाभकारी मिल द्वार मूल्य 46.66 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया है। सरकार ने बी-हैवी शीरे/गन्ने के आंशिक रस से प्राप्त इथेनॉल का मिल द्वार मूल्य 59.08 रुपये प्रति लीटर तय किया है; और 100% गन्ने के रस/सिरप/चीनी से प्राप्त इथेनॉल का मूल्य 63.45 रुपये प्रति लीटर की दर से उन मिलों के लिए तय किया गया है जो 100% गन्ने के रस को इथेनॉल के उत्पादन के लिए डायवर्ट करेंगे, जिससे कोई चीनी का उत्पादन नहीं होगा, क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों/मक्का से उत्पादित इथेनॉल की कीमत 52.92 रुपये प्रति लीटर की दर से तय की गई है ताकि चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार हो और वे अपने गन्ने का बकाया चुका सकें।

5.10 विभाग ने समिति को उपलब्ध कराए अपने लिखित उत्तर में सरकारी नीतियों का सकारात्मक प्रभाव - इथेनॉल आपूर्ति और इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता में वृद्धि का निम्नानुसार उल्लेख किया:-

Ø इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की आपूर्ति 40 करोड़ लीटर से कम थी जिसमें ब्लेंडिंग का स्तर केवल 1.53% था।


Ø तथापि, केन्द्र सरकार के सम्मिलित प्रयासों के कारण वर्ष 2013-14 से 2020-21 के दौरान ईंधन ग्रेड इथेनॉल के उत्पादन और तेल विपणन कंपनियों को इसकी आपूर्ति में 8 गुणा वृद्धि हुई है।

5.11 विभाग ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार ने अपनी राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 में वर्ष 2022 तक मोटर ईंधन में 10% इथेनॉल और 2030 तक 20% इथेनॉल के सम्मिश्रण के लिए अधिदेश दिया। तदनुसार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली के साथ नई डिस्टिलरी परियोजना की स्थापना और मौजूदा क्षमता के विस्तार के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज छूट के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्कीमों में अधिसूचित की हैं। ब्लेंडिंग लक्ष्यों को पूरा करने उद्देश्य से सरकार वर्ष 2025 तक देश में शीरा आधारित डिस्टिलरियों की इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता को दोगुना करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।



5.12 केंद्रीय सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत इथेनॉल के उत्पादन और इसकी आपूर्ति को विशेषरूप से अधिशेष मौसम में बढ़ाने के विचार से और इसके द्वारा चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि किसानों के गन्ना मूल्य बकाया चुकाया जा सके, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर 6% प्रति वर्ष की दर से या बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर का 50% जो भी कम हो, की ब्याज छूट स्कीमें अधिसूचित की है। उपर्युक्त अधिसूचित स्कीमों के तहत एक वर्ष की मोरेटोरियम की अवधि सहित पाँच वर्ष के लिए ब्याज छूट का वहन केंद्रीय सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

5.13 साक्ष्य के दौरान, विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए :-  
सरकारी नीतियों का प्रभाव: इथेनॉल ब्लेंडिंग में वृद्धि



वर्ष 2021-22 में 10 प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य; वर्ष 2022-23 में 15 प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य;

वर्ष 2023-24 में 15 प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य; वर्ष 2025 से 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग;

5.14 विभाग ने आगे सूचित किया कि इनस्कीमों के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अब तक चीनी मिलों की कुल 1028 इथेनॉल परियोजनाएं और इन स्कीमों के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के लिए शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरी और अनाज आधारित डिस्टिलरियां अनुमोदित की गई हैं, जिसके लिए बैंकों से लगभग 76,000 करोड़ रुपये की ऋण राशि का लाभ उठाया जाएगा तथा जिसके लिए 6% प्रतिवर्ष अधिकतम की दर से ब्याज छूट सरकार द्वारा वर्ष पांच साल हेतु वहन की जा रही है। इस स्कीम के तहत 151 परियोजनाओं के लिए लगभग 10,013 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की गई है और जिसमें केवल 2200 करोड़

रुपये की ब्याज छूट और 409 करोड़ लीटर की क्षमता का निर्माण शामिल है। इन 151 परियोजनाओं जिनके लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं,में से 114 परियोजनाओं के लिए 5030 करोड़ का संवितरण कर दिया गया है।

5.15 इन उपायों के परिणामस्वरूप चीनी मौसम 2017-18 के लिए किसानों का अखिल भारतीय गन्ना मूल्य बकाया लगभग 23,232 करोड़ रुपये के अधिकतम बकाया से घटकर 199 करोड़ रुपये हो गया है; और चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों का गन्ना मूल्य बकाया 28,222 करोड़ रुपये के अधिकतम बकाया से घटकर 410 करोड़ रुपये (31.01.2021की स्थिति के अनुसार) हो गया है। चीनी मौसम 2019-20 के लिए लगभग 75,845 करोड़ रुपये के कुल गन्ना बकाया के प्रति लगभग 74,079 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार केवल 1766 करोड़ लंबित हैं। चीनी मौसम 2021-22 के लिए 13,193 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य दिनांक 10.02.2022 की स्थिति के अनुसार का भुगतान के लिए बकाया है (लगभग 75% गन्ना बकाया का भुगतान कर दिया गया है)।

5.16 यह पूछे जाने पर कि इथनॉल की ब्लेंडिंग के प्रतिशत को 5% से 10% तक के बीच कितना बढ़ाए जाने से गन्ना मूल्य बकाया को कम किया जा सका है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है। मोटर ईंधन में 5% से 10% तक इथनॉल की ब्लेंडिंग प्रतिशत में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न फीड स्टॉक से उत्पादित इथनॉल के लाभकारी मूल्य के निर्धारण से इथनॉल के उत्पादन में वर्ष 2013-14 में 138 करोड़ लीटर से ईएसवाई 2020-21 में 302 करोड़ लीटर की वृद्धि हुई है जिसके लिए मिलों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है जिससे मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार हो रहा है। तेल विपणन कंपनियों को की गई इथनॉल की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व से चीनी मिलों को किसानों के गन्ने का बकाया चुकाने में सहायता मिली है। ईएसवाई 2020-21 में लगभग 22 लाख टन चीनी को इथेनॉल के उत्पादन के लिए डायवर्ट किया गया था जिससे चीनी मिलों को 13,500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ और गन्ना मूल्य बकाया का तेजी से भुगतान हुआ।

5.17 विभाग से ईथेनोल डिस्टिलरियों के साथ शुगर मिलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके उत्तर में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में उल्लेख किया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्कीमों के तहत इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए चीनी मिलों, शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरियों और अनाज आधारित डिस्टिलरियों की 1028 इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया इसके लिए बैंकों से लगभग 76,000 करोड़ रुपये की राशि का ऋण लिया जाएगा और जिसके लिए सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष अधिकतम की दर से ब्याज छूट वहन की जा रही है। इस स्कीम के तहत 151 परियोजनाओं के लिए लगभग 10,013 करोड़ रुपये की राशि के ऋण मंजूर किए गए हैं जिसमें केवल लगभग 2200 करोड़ रुपये की ब्याज छूट और 409 करोड़ लीटर की क्षमता का सृजन शामिल है। 151 परियोजनाओं जिन्हे स्वीकृत किया गया है, में से 114 परियोजनाओं के लिए 5030 करोड़ रुपये का संवितरण कर दिया गया है।

5.17 इथनॉल की ब्लेंडिंग के मामले पर, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को दिनांक 24.02.2022 को आयोजित अपनी बैठक में समिति को निम्नानुसार संक्षेप में जानकारी दी कि:-

"इथेनॉल के संबंध में, मैं आपको एक बहुत ही व्यापक उत्तर दूंगा।

पिछले वर्ष हमने 302 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया था। उत्पादित 302 करोड़ लीटर इथेनॉल में से केवल 2 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन एफसीआई चावल से किया गया था। डिस्टिलरी द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश अनाज टूटे हुए चावल हैं जो बाजार में कहीं सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। यह 13-14 रुपये प्रति किलो में मिल रहा है। जबकि एफसीआई चावल की कीमत 20 रुपये प्रति किलो है। इसलिए, वे भारतीय खाद्य निगम के चावल का उपयोग तभी करेंगे जब टूटे हुए चावल बाजार में उपलब्ध न हों और उनकी आसवन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग न हो। तभी वे इसे लेंगे।

मैं बस इसमें यह जोड़ना चाहता हूँ कि गन्ने का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में ही किया जाता है। इस गन्ने को दूर-दराज के क्षेत्रों में ढुलाई करके ले जाना व्यावसायिक रूप से बहुत किफायती नहीं हो सकता है। यही कारण है कि हमें अनाज से इथेनॉल उत्पादन भी करना चाहिए। यही वह सीमित बिंदु है जिसे मैं रेखांकित करना चाहता था।"

5.18 समिति नोट करती है कि सरकार अतिरिक्त चीनी को डायवर्ट करके इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर 01.04.2019 पूरे देश में ईबीपी का विस्तार किया गया है। इस जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2022 तक ईबीपी के तहत मिश्रण लक्ष्य को 5% से बढ़ाकर 10% और 2025 तक 20% कर दिया है। सरकार ने बी-भारी शीरा, गन्ने के रस, चीनी सिरप और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन की भी अनुमति दी है। समिति को यह भी बताया गया है कि वर्ष 2017-18 से चीनी का उत्पादन सरप्लस में हो रहा है और यह देश में मांग की तुलना में काफी अधिक है। चीनी का अतिरिक्त स्टॉक चीनी की कीमतों को कम कर रहा है जिससे चीनी मिलों की चल निधि की स्थिति प्रभावित हो रही है। जैसे, चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने गन्ने के रस, बी-हाई शीरा, चीनी और चीनी सिरप से इथेनॉल के उत्पादन की भी अनुमति दी है और सी-हेवी @ 46.66 रुपए प्रति लीटर से प्राप्त निकाले गए इथेनॉल का लाभकारी एक्स-मिल मूल्य निर्धारित किया है।, बी-हैवी शीरा/आंशिक गन्ने का रस @ 59.08/लीटर, 100% गन्ने का रस/सिरप/चीनी @ 63.45 रुपये प्रति लीटर और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न/मक्का 52.92 रुपए प्रति लीटर चीनी मिलों की चल नीति में सुधार करने के लिए, ताकि वे अपना गन्ना बकाया चुका सकें। समिति इथेनॉल सम्मिश्रण की दिशा में सरकार के बहुमुखी प्रयासों की सराहना करते हुए, विभाग को चीनी मिलों के लिए चीनी के कुछ हिस्से को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए चीनी का उच्च उत्पादन करने के अनिवार्य बनाने के बारे में सोचने की जोरदार सिफारिश की है इस कदम से न केवल राजस्व उत्पन्न होगा जिसके बल्कि गन्ना मूल्य बकाया भी कम होगा अंततः रोजगार भी पैदा होगा।

## (ग) बकाया गन्ना मूल्य

5.19 वर्ष 2021-22, 2020-21, 2019-20 और पूर्व के चीनी मौसमों के लिए गन्ना मूल्य बकाया (यथास्थिति एसएपी/एफआरपी आधार पर) का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

क्रम संख्या	राज्य	गन्ना बकाया (करोड़रुपयेमें)			भुगतान किया गया गन्ना बकाया (करोड़रुपयेमें)			गन्ना मूल्य बकाया (करोड़रुपयेमें)						
		2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22	2016-17 तथा उस सेपूर्व	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	उत्तर प्रदेश	35898	33014	15939	35898	32458	11230	22.29	20	0	0	556	4709	5308
2	महाराष्ट्र	14157	32144	17205	14157	31822	15589	178	27	67	0	322	1616	2210
3	कर्नाटक	10554	13402	13594	10548	13402	9675	27	0	9	6	0	3919	3961
4	गुजरात	2973	3149	1251	2973	3105	325	35	1	0	0	44	926	1006
5	तामिलनाडु	2418	2672	726	2418	2647	479	1320	60	73	0	25	247	1725
6	बिहार	2039	1421	1210	2000	1417	1072	39	0	50	39	4	138	270
7	हरयाणा	2374	2628	872	2374	2606	372	0	0	0	0	22	500	522
8	पंजाब	1740	1881	852	1705	1872	415	0	0	0	35	8	437	480
9	मध्यप्रदेश	877	141	636	877	141	398	8	0	0	0	0	238	246
10	उत्तराखंड	1316	1219	740	1316	1219	400	25	75	105	0	0	340	545
11	आंध्र प्रदेश	876	635	338	833	598	236	1	0	37	43	37	102	220
12	तेलंगाना	415	365	एन.आर.	415	365	एन.आर.	0	0	0	0	0	NR	0
13	छत्तीसगढ़	208	132	61	208	68	40	0	2	6	0	64	21	93
14	ओडिशा	0	77	NR		77	NR	3	0	0	0	0	NR	3

15	राजस्थान													0
16	पुदुचेरी			एन.आ र.			एन.आ र.	21		0	0	0	एन.आ र.	21
17	गोवा									2				2
18	शेष भारत													
	अखिल भारतीय	75845	9288 0	53424	7572 2	9179 7	40231	167 9	185	349	123	108 2	13193	1661 2
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान संपूर्ण भारत की स्थिति														

5.20 विभाग ने सूचित किया कि चीनी मिलों की नकदी की स्थिति को सुधारने और उनको किसानों के गन्ना बकाया का यथासमय भुगतान करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान विभिन्न उपाय किए हैं जो निम्नानुसार हैं:

#### चीनी मौसम 2018-19:

Ø चीनी मौसम 2018-19 के दौरान लगभग 3000 करोड़ रुपए के गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मिलों को पेराई किए गए गन्ने के लिए 13.88 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की गई।

Ø चीनी मौसम 2018-19 में, देश से चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा, हैंडलिंग और अन्य प्रभारों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान की गई और इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 900 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

Ø गन्ना देय बकाया के भुगतान के लिए चीनी मिलों को बैंकों के माध्यम से 7402 करोड़ रुपए का सरल ऋण दिया गया, जिसके लिए सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए 7% की दर से लगभग 518 करोड़ रुपए की ब्याज छूट का वहन किया जा रहा है।

#### चीनी मौसम 2019-20:

Ø 01 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए चीनी मिलों को 40 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक आबंटित किया गया, जिसके लिए सरकार बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु 1674 करोड़ रुपए की रख-रखाव लागत का वहन कर रही है।

Ø चीनी मौसम 2019-20 में 60 लाख टन चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए चीनी मिलों को निर्यात संबंधी खर्च हेतु 10448 रुपए प्रति टन की सहायता प्रदान की जा रही है जिसके लिए सरकार द्वारा 6268 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का वहन किया जा रहा है।

### चीनी मौसम 2020-21:

केंद्र सरकार चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के उद्देश्य से 60 लाख टन चीनी के व्यय के लिए चीनी मिलों को 6000 रुपए प्रति टन की दर से सहायता प्रदान कर रही है, जिसके लिए सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय का वहन किया जा रहा है।

### इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत इथेनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरियां स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्तावकों के लिए ब्याज छूट स्कीम

इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की आपूर्ति के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम (ईबीपी) वर्ष 2003 में 9 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का विस्तार समग्र भारत में किए जाने की आवश्यकता थी जिसका विस्तार वर्तमान सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2019 से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में कर दिया गया था।

- इस जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ईबीपी के अंतर्गत ब्लेंडिंग लक्ष्यों को 2022 में 5% से बढ़ाकर 10% और 2025 तक 20% कर दिया है।
- इथेनॉल खरीद के लिए विभिन्न मूल्य निर्धारित किए गए जो प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर आधारित हैं।
- सरकार ने बी-हैवी शीरा, गन्ने का रस, 'शुगरकेन सीरप' और चीनी से भी इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है।
- इथेनॉल मौसम के लिए सी-हैवी शीरा, बी-हैवी शीरा और गन्ने का रस/चीनी/'शुगर सीरप' से तैयार किए गए इथेनॉल के लाभकारी 'एक्स-मिल' मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

### (घ) रुग्ण चीनी इकाइयां

5.21 समिति ने विभाग से देश में रुग्ण चीनी यूनिटों से संबंधित वर्तमान स्थिति के संबंध में ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा जिसके उत्तर में विभाग ने अपने लिखित उत्तर में समिति को सूचित किया कि चीनी मिलों के रुग्ण होने के मुख्य कारण पर्याप्त कच्चे माल की अनुपलब्धता, गन्ने से कम रिकवरी, गैर-किफायती आकार, आधुनिकीकरण, उन्नयन और विविधीकरण में कमी, कार्यशील पूंजी की उच्च लागत, कुछ राज्यों द्वारा गन्ना के उच्च राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) की घोषणा, पेशेवर प्रबंधन की कमी, अधिक स्टाफ होना इत्यादि हैं। चीनी मौसम 2021-22 के दौरान देश में स्थापित 756 चीनी मिलों में से 506 मिलें प्रचालन में हैं तथा 250 चीनी यूनिटों का प्रचालन वित्तीय संकट, कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा पुराने प्लांट और मशीनरी इत्यादि सहित विभिन्न कारणों से हो पाया था।

5.22 समिति नोट करती है कि कुल 16612 करोड़ रुपए गन्ना बकाया है। यद्यपि, गन्ना मूल्य बकाया काफी कम हो गया है लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक है। समिति यह नोट करके हैरान है कि किसान द्वारा गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान करने के प्रावधानों के बावजूद, यह शायद ही कभी किया जाता है। चीनी सीजन 2016-17 और उससे पहले का गन्ना मूल्य बकाया अभी भी बकाया है और गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के प्रावधानों के अनुसार 15% की दर से ब्याज सहित गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिए चीनी मिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समिति महसूस करती है कि समय पर गन्ना बकाया का भुगतान न करना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है और किसानों को गन्ना उगाने से रोक सकता है और उन्हें अन्य फसलों को उगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। समिति महसूस करती है कि लाभकारी कीमतों पर तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों की चल निधि में वृद्धि हुई है। इससे चीनी मिलों की ओर से किसानों का बकाया जल्द से जल्द चुकाना और भी जरूरी हो गया है। समिति महसूस करती है कि किसानों को उनकी कृषि उपज की डिलीवरी के तुरंत बाद लाभकारी मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता है। इसलिए, वे विभाग को सभी बकाया को समाप्त करने और किसानों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों पर दबाव डालकर उचित उपाय करने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई कार्य योजना/विशिष्ट कदमों से अवगत होना चाहेगी।

5.23 समिति यह भी नोट करती है कि देश में स्थापित 756 चीनी मिलों में से 506 चीनी मिलें चालू हैं और 250 चीनी इकाइयाँ वित्तीय संकट, कच्चे माल की अनुपलब्धता और अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी, आदि सहित विभिन्न कारणों से संचालित नहीं हो रही थीं। गन्ना बकाया की बड़ी बकाया राशि के साथ-साथ न चल रही चीनी मिलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, समिति रूग्ण



चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए उन्हें पूंजीगत सहायता, आसान और सस्ते ऋण आदि प्रदान करके एक व्यापक नीति तैयार करने की सिफारिश करती है, जो बदले में, अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करेगा और इस प्रकार गन्ना मूल्य बकाया के तेजी से समाशोधन का मार्ग प्रशस्त करेगा। समिति का यह भी विचार है कि रुग्ण चीनी इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करते समय, ऐसी इकाइयों को आंशिक इथेनॉल उत्पादन के साथ जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कारकों का भी पता लगाया जा सकता है।

नई दिल्ली;

16 मार्च, 2022

25 फाल्गुन, 1943 (शक)

सुदीप बंदोपाध्याय

सभापति,

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक  
वितरण संबंधी स्थायी समिति।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की गुरुवार, 24 फरवरी, 2022 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक 1415 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'डी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

### उपस्थित

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय – सभापति

### सदस्य

#### लोक सभा

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री खगेन मुर्मु
4. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
5. श्रीमती कविता सिंह
6. श्री जी. सेल्वम
7. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
8. श्री राजमोहन उन्नीथन

#### राज्य सभा

9. श्रीमती रूपा गांगुली
10. श्री रामजी
11. श्री जी.के. वसन

### सचिवालय

1. श्री शिव कुमार - संयुक्त  
सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक
3. श्री राम लाल यादव - अपर निदेशक
4. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने अनुदान की मांगों(2022-23)। की जांच के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिनिधि  
(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)**

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री सुधांशु पांडेय	सचिव
2.	श्री जी. श्रीनिवास	एस एंड एफए (डीएफपीडी)
3.	श्री आतिश चंद्र	सीएमडी, एफसीआई
4.	श्री टी.के. मनोज कुमार	अध्यक्ष (डब्ल्यूडीआरए)
5.	श्री सुबोध कुमार सिंह	संयुक्त सचिव (नीति, भारतीय खाद्य निगम/चीनी एवं प्रशासन)
6.	श्री एस. जगन्नाथन	संयुक्त सचिव (बीपी एवं पीडी)
7.	श्री पार्थ सारथी दास	संयुक्त सचिव (इम्पेक्स एवं आईसी)
8.	सुश्री नंदिता गुप्ता	संयुक्त सचिव (भंडारण एवं स्नातकोत्तर)
9.	श्रीमती ममता शंकर	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
10.	श्री शैलेन्द्र कुमार	मुख्य लेखा नियंत्रक
11.	श्री रवीन्द्र अग्रवाल	ईडी (टी/एस एंड सी/साइलो/आईटी/क्यूसीआई)
12.	श्री सुदीप सिंह	ईडी (कार्यकारी निदेशक) (क्यूसी/प्रोक/सेल्स)
13.	सुश्री वनिता आर शर्मा	ईडी (वित्त)
14.	श्री बिजय कुमार सिंह	ईडी (कार्मिक/इंजीनियरिंग)
15.	श्री अमित कुमार सिंह	निदेशक (विपणन और कॉर्पोरेट योजना)
16.	श्री प्रभास कुमार	निदेशक (वित्त एवं बजट)

[तत्पश्चात साक्षियों को बुलाया गया।]

3. तत्पश्चात अनुदान की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया। तब माननीय सभापति ने बैठक में खाद्य

और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और कार्यवाही को गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

4. माननीय सभापति ने अपने स्वागत भाषण में साक्षियों से एफसीआई/राज्य सरकारों द्वारा गोदामों के निर्माण, भांडागार विकास और नियामक प्राधिकरण को सहायता, पीडीएस संचालन को मजबूत करने, टीपीडीएस लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र, , विभाग की कार्यप्रणाली सहित इन योजनाओं के कार्यान्वयन में समस्याओं, यदि कोई हो जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बताने का अनुरोध किया। एफसीआई को खाद्यान्न के लिए सब्सिडी, विकेंद्रीकृत खरीद योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के मद्देनजर भंडारण क्षमता का निर्माण, सायलोस का निर्माण, पीडीएस के तहत चावल का वितरण और उसका फोर्टिफिकेशन, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति आदि।

5. सभापति की अनुमति से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रतिनिधियों ने विभाग के प्रमुख कार्यो, बजट आवंटन - 2021-22 और 2022-23, व्यय 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए योजना-वार आवंटन पर प्रकाश डालते हुए एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया।, बजट के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए आवंटन, वर्तमान खरीद परिदृश्य, मानकीकृत खरीद संचालन - न्यूनतम थ्रेशोल्ड पैरामीटर (एमटीपी), चीनी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की पहल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और उसके वितरण का फोर्टिफिकेशन, उचित दर की दुकान (एफपीएस) का परिवर्तन, भंडारण और परिवहन, आदि।

6. सचिव ने समिति को विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) के विभिन्न पहलुओं से भी अवगत कराया और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संबंध में उनके द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, गोदामों का निर्माण, डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी, 2025 से 20% इथेनॉल सम्मिश्रण से संभावित लाभ, COVID-19 संकट के लिए खाद्य सुरक्षा प्रतिक्रिया आदि जैसे मामलों पर भी चर्चा की गई।

7. समिति ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अनुदान मांगों (2022-23) से संबंधित मुद्दों पर एफसीआई, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), पीडीएस संचालन को मजबूत करने के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा। , पीडीएस का एकीकृत प्रबंधन, आदि।

8. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। अध्यक्ष ने विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए धन्यवाद दिया और विभाग को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का भी निर्देश दिया जिनके संबंध में जानकारी उनके पास जल्द से जल्द उपलब्ध नहीं थी।

9. साक्ष्य पूरा हुआ।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया।

**तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।**

-----

## परिशिष्ट II

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की बुधवार, 16 मार्च, 2022 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2022 को 1030 बजे से 1100 बजे तक समिति कक्ष 'सी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

### उपस्थित

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

-

सभापति

### सदस्य

#### लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्रीमती देबाश्री चौधरी
4. श्री अनिल फिरोजिया
5. श्री खगेन मुर्मु
6. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
7. श्रीमती हिमाद्री सिंह
8. श्री जी. सेल्वम
9. श्री राजमोहन उन्नीथन
10. श्री वी. वैथिलिंगम

#### राज्य सभा

11. श्रीमती रूपा गांगुली
12. श्री के.जी. केन्ये
13. डॉ. फौजिया खान
14. श्री जी.के. वसन

सचिवालय

1. श्री शिव कुमार - संयुक्त  
सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक
3. श्री राम लाल यादव - अपर  
सचिव
4. डॉ. मोहित राजन - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति महोदय ने अनुदान मांगों (2022-23) से संबंधित (एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और (दो) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए बुलाई गई बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए लिया:-

(एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-23)

(दो) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX

4. समिति ने कुछ विचार-विमर्श के पश्चात् बिना कोई संशोधनों/परिवर्तनों के प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

5. तत्पश्चात्, माननीय सभापति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया और संसद के वर्तमान सत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों के नाम मनोनीत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

6. समिति ने मई, 2022 में तत्स्थानिक दौरा करने का भी निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।



\*\*\*\*\*

परिशिष्ट III

समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें/टिप्पणियां

क्र.सं.	पैरा संख्या	सिफारिशें/टिप्पणियां
1.	2.	3.
1.	2.10	<p>समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व स्कीमों के लिए कुल बजट अनुमान 2,51,248.34 करोड़ रुपये था जिसको संशोधित चरण पर संशोधित करके 299363.35 करोड़ रुपये कर दिया गया था हालांकि, 23.02.2022 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक व्यय 238524.73 करोड़ रुपये अर्थात् संशोधित अनुमान 2021-22 का 77.28 प्रतिशत है। इसी प्रकार से, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पूंजीगत स्कीमों के लिए कुल वास्तविक अनुमान 52725.96 करोड़ रुपये है जिसको संशोधित अनुमान चरण पर कम करके 12,636.65 करोड़ रुपये किया गया था लेकिन 23.02.2022 की स्थिति के अनुसार, वास्तविक व्यय केवल 2600.39 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, राजस्व हेतु वास्तविक अनुमान 2022-23 के लिए 213929.91 करोड़ रुपये रखा गया है अर्थात् संशोधित अनुमान 2021-22 से 28.5% कम था।</p> <p>वर्ष 2022-23 के लिए, कम आवंटन हेतु विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों में पीएम-जीकेवाई के लिए निधियों का प्रावधान न</p>

		<p>करना, कुछेक सरकारी क्षेत्र स्कीमों को बंद करना, तथा कुछेक स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी प्रगति शामिल हैं। हलांकि, समिति कुछ स्कीमों के अंतर्गत व्यय की धीमी प्रगति के कारण, वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित निधियों का उपयोग करने में विभाग के सक्षम न होने को नोट कर व्यथित है। समिति को यह प्रतीत होता है कि अनुमानित परिव्यय अर्थात वास्तविक व्यय की अनियोजित पद्धति से उत्पन्न हुई स्थिति मालूम होती है, को इसका कारण होना मानती है। विभाग की ओर से आवंटित निधियों का कम उपयोग तथा अपर्याप्त निगरानी न केवल आरंभिक चरण को दर्शाता है बल्कि समुचित आयोजना की कमी को भी दर्शाता है। अतः समिति विभाग से यह अनुरोध करती है कि वह निधियों के समुचित तथा सही उपयोग के लिए बढ़ाई गई निगरानी के साथ व्यय हेतु बढ़ रही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी बनाए।</p>
2.	2.12	<p>समिति यह नोट करके आश्चर्यचकित हैं कि वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व स्कीम जिसमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता जिससे अंतर्राज्यीय आवाजाही पर होने वाला व्यय, खाद्यानों की संभलाई - एनएफएसए अनुदान के अंतर्गत एफपीएस डीलरों के लाभ को पूरा किया जाता है यह बजट अनुमान पर 4000 करोड़ रुपये था जिसको संशोधित चरण पर बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये कर दिया गया था लेकिन वास्तविक व्यय मात्र 3602.22 करोड़ रुपये ही रहा था। समिति 2022-23 के 6572 करोड़ रुपए के बजट अनुमान जिसे बढ़ाया गया था के कारणों को समझ पाने में असमर्थ है जबकि संशोधित अनुमान पर यह वर्ष 2021-22 में 6000 करोड़ रुपये था और जिसका पूरा उपयोग भी नहीं हो पाया था। समिति को यह बताया गया है कि कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार खाद्यानों का आवंटन</p>

		<p>कर रही है जिसे मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, अंतर्राज्यीय आवाजाही खाद्यान्नों की संभलाई तथा उचित दर की दुकानों के डीलरों का मार्जिन, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस व्यय को पूरा करने के लिए, बजट अनुमान 2022-23 में अधिक निधि मांगी गई है। इस वजह से विभाग द्वारा समिति को दिए गए उत्तर से समिति पूरी तरह से सहमत नहीं है। तथापि, समितियां नोट करने को विवश है की वास्तविक अनुमान/संशोधित अनुमान/वास्तविक अनुमान चरणों पर निधियों का ऊपरी और/निचली ओर अंतर को दर्शाता है कि विभाग की ओर से समुचित आयोजना की कमी जो दिखाई गई है से भविष्य में बचा जाए। इस तथ्य को देखते हुए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है ताकि वह अंतर्राज्यीय आवाजाही खादानों की संभलाई पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता को सुनिश्चित करें। समिति विभाग से पुरजोर रूप से अनुरोध करती है कि वह स्वतः आरंभिक चरण पर निधियों के व्यय की सख्ती से निगरानी करें ताकि आवंटित निधियों की वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतः ही समुचित रूप से निगरानी करें। इस को प्राप्त करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय एक वास्तविक और कारगर कार्य योजना तैयार करे ताकि ऐसी धनराशि को पूरे वर्ष समान रूप से उपयोग कर सके।</p>
3.	3.7	<p>समिति को यह नोट कर खेद है कि योजना प्रारंभ होने के 24 वर्षों के बाद और समिति द्वारा शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विकेंद्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी) अपनाने के लिए तैयार करने हेतु ठोस कदम उठाने की बार-बार सिफारिश करने के बावजूद गेहूं के लिए योजना को केवल 9 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तथा चावल के लिए</p>

		<p>16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है। यह देखते हुए कि डीसीपी योजना के तहत खाद्यान्नों की खरीद अधिक प्रभावी है क्योंकि गैर-विकेंद्रीकृत खरीद में एफसीआई का एक अतिरिक्त हैंडलिंग लेनदेन शामिल है जिसमें उसे खाद्यान्नों का स्टॉक लेना और उन्हें राज्य सरकार को जारी करना होता है, समिति इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि शेष राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को भी डीसीपी योजना जल्द से जल्द अपनानी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डीसीपी योजना को अपनाना और भी आवश्यक है। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि विभाग को शेष राज्यों को इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए और योजना के कार्यान्वयन में उनकी समस्याओं, यदि कोई हो, का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास करना चाहिए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकतम संभव सहायता दी जानी चाहिए।</p>
4.	3.8	<p>समिति यह नोट करके निराश है कि यद्यपि विभाग के अनुरोध पर, नीति आयोग के अंतर्गत एक मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था ताकि वर्ष 2017 में डीसीपी स्कीम के निष्पादन मूल्यांकन को किया जा सके, अनेकों अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद, आज की तिथि तक मूल्यांकन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आर्थिक विकास संस्थान द्वारा गेहूं/धान के प्रापण के लिए भी केंद्रित प्रापण स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिए इस मामले को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए ताकि उपायुक्त मूल्यांकन कार्य पूरा हो सके और दोनों एजेंसियों को इसे देखना चाहिए ताकि इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के</p>

		छह माह के भीतर अपने संबंधित कार्य को पूरा किया जा सके और तदनुसार समिति को इससे अवगत कराया जाए।
5.	3.15	समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य राज्य सहायता के बारे में - निधियों का आवंटन 290573.11 करोड़ रुपए है लेकिन वन 11.02.2022 स्पीक की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 220445.61 करोड़ रुपए अर्थात आवंटन का 76% है। हालांकि, समिति वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य राजसहायता पर ब्याज में कमी के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना करती है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि यह अभी भी काफी अधिक है इसमें और अधिक कटौती करने की अभी भी संभावना है। समिति मंत्रालय से यह अनुरोध करती है कि मंत्रालय को बैकअप योजना तैयार कर भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी की अनुचित परिस्थितियों का निराकरण कर के लाभार्थियों की मांग के साथ समझौता किए बिना उसे अनुकूल बनाएं।
6.	3.25	समिति नोट करती है कि देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग कुल प्रतिशतता 93.8% है। मंत्रालय ने बताया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में आधार सीडिंग की प्रगति कम होने का कारण असम और मेघालय में कम आधार बनना है। समिति इस तथ्य पर अपनी नाराजगी व्यक्त करती है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राशन कार्ड के साथ आधार की सीडिंग के कार्य की प्रक्रिया अभी भी जारी है तथा क्रमशः 60%, 47%, 28%, और 80% सीडिंग का कार्य ही अभी पूरा हुआ है। समिति पूरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को सीडिंग का कार्य 100% पूरा करना चाहिए। समिति आगे इच्छा व्यक्त करती है कि राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग

		के मुद्दे को उच्चतम स्तर पर निपटा लेना चाहिए ताकि एक राष्ट्र 'एक राशन कार्ड स्कीम' का उद्देश्य पिछड़े राज्यों में सभी प्रवासी लाभार्थियों को सशक्त बनाने के कार्य को पूरा किया जा सके और गरीब लोग सरकार की कल्याणकारी स्कीमों के निर्वाह लाभों को प्राप्त कर सकें।
7.	3.27	समिति नोट करती है कि 31 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में आपूर्ति चेन प्रबंधन कंप्यूटरीकरण कार्यान्वित किया गया है तथा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का कंप्यूटरीकरण का कार्य अभी भी चल रहा है। क्रियाकलाप चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी में लागू नहीं है क्योंकि ये तीनों प्रत्यक्ष अंतरण स्कीम (डीबीटी) के अंतर्गत आते हैं। अतः समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंप्यूटरीकरण में विलंब के कारणों का पता लगाए तथा शेष पूर्वोत्तर राज्यों में निर्धारित समयावधि के भीतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंप्यूटरीकरण के कार्य को पूरा करें।
8.	3.34	समिति नोट करती है कि कोविड-19 महामारी ने पूरे देश को अनेकों तरीकों से प्रभावित किया है। इसका प्रभाव खाद्य सुपुर्दगी प्रणाली पर पड़ा है जिससे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष परिणाम लोगों के जीवन तथा उनकी जीविका पर पड़े हैं, विशेषकर समाज के सबसे कमजोर तबके पर पड़ा है। समिति सरकार की प्रशंसा करती है कि उसने कोविड-19 के लिए आर्थिक प्रतिक्रिया के भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्दुनिया अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी स्कीम शुरू की थी जिसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अंत्योदय अन्य योजना (एएवाई), और प्राथमिकता वाले घर (पीएचएच) के अंतर्गत शामिल सभी लाभार्थियों

		<p>के लिए केंद्रीय पूल से पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निशुल्क खाद्यानों के अतिरिक्त आवंटन के लिए जिसमें वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 19 माह की कुल अवधि के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत जो लोग शामिल हैं। तथापि समिति यह पाती है कि विभाग ने लाभार्थियों के जीवन पर स्कीम के पूंजीगत परिव्यय तथा व्यय तथा उनके अंतिम नतीजों के बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया है और न ही कराया जाना प्रस्तावित है। इसलिए समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह एक उद्देश्यपरक आकलन कराए ताकि यह पता लगाया जा सके की स्कीम ने किस सीमा तक लाभार्थियों की मदद की है तथा और कितने समय तक इसको और चलाए जाने की आवश्यकता है।</p>
9.	3.43	<p>समिति नोट करती है कि देश में खून की कमी (एनीमिया) और खून में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 174.64 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2019-20 से शुरू करके तीन वर्षों की अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पोषणयुक्त चावल और उसके वितरण के संबंध में केन्द्रीय प्रयोजित पायलट स्कीम को भारत सरकार ने अनुमोदित किया था। समिति को यह भी बताया गया है कि केरल, कर्नाटक, असम और पंजाब राज्यों ने पोषणयुक्त फोर्टीफाइड चावल का वितरण आरंभ नहीं किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि पंजाब को क्यों फोर्टीफाइड चावल वितरण हेतु चुना गया है, जबकि यह तथ्य ज्ञातव्य है कि पंजाब में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल वितरित नहीं किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयोजित परियोजना के लिए राज्यों/जिलों का चुनाव करते समय राज्यों का चुनाव व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया है। समिति यह जानना चाहती है कि वह कौन से मानदंड हैं जिनके आधार पर इन राज्यों को 'प्रायोगिक</p>

		<p>परियोजना' के लिए चुना गया है। समिति महसूस करती है कि स्कीम आसान, लागत प्रभावी और इसका उद्देश्य अपने लाभार्थियों में कुपोषण और पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। इसलिए समिति मंत्रालय से पूरजोर रूप से यह सिफारिश करती है कि वह स्कीम को पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करें ताकि कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके विशेषकर उन राज्यों में, जहाँ पर चावल मुख्य आहार है। समिति मंत्रालय को यह सुझाव भी देती है कि समस्त राज्यों में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की स्कीम को कार्यान्वित करने की तैयारी करते समय जो राज्य चावल के विकेन्द्रीकृत प्रापण को चुनते हैं को पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इस कार्य हेतु अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं को विकसित करे।</p>
10.	4.7	<p>समिति चिंता के साथ नोट करती है कि भुगतान के आधार पर विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के लिए एफसीआई द्वारा उनको प्रदान कराए गए खाद्यान्नों के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) की देय राशि बकाया है। समिति को यह बताया गया है कि 31.02.2008 तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) स्कीम अर्थात जब स्कीम बंद हुई थी के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय खाद्य निगम के भुगतान के लिए 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार 2454.03 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम) के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के शिक्षा मंत्रालय (एचआरडी) पर 350.42 करोड़ रुपये (03.12.2021 की स्थिति के अनुसार) बकाया है, जबकि भारत सरकार के अफगानिस्तान को दान दिए गए 'इंडियाज डोनेशन टू अफगानिस्तान' के तहत अफगानिस्तान के लिए फोर्टिफाइड</p>



		<p>बिस्कुटों की आपूर्ति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के लिए गेहूं जारी करने हेतु विदेश मंत्रालय पर 56.46 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। समिति महसूस करती है कि वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के बकाया देयों के वसूली की असमर्थता भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा हमेशा बढ़ती खाद्य राजसहायता का भार रहेगा। अतः समिति पुरजोर रूप से सिफारिश करती है कि विभाग को अन्य मंत्रालयों के साथ उच्चतम स्तर पर मामले को नियमित रूप से उठाने के लिए उच्चतर अधिकारियों का वसूली प्रकोष्ठ गठित करके बकाया देय का निपटान करने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए, ताकि बकाया देय की वसूली हो, जो निश्चित तौर पर भारतीय खाद्य निगम की देयता को कम करेगी।</p>
11.	4.10	<p>समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम की संस्थापना लागत जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रापण, परिवहन तथा खाद्य राजसहायता के तौर पर खाद्यान्नों के भंडारण पर खर्च हुए व्यय के साथ बहुत ज्यादा अर्थात् 2430 करोड़ रुपये है जिसमें खाद्य राजसहायता के बड़े भाग के रूप में संस्थापना लागत को पूरा करने में जाती है। समिति भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए ठोस कदमों की सराहना करती है ताकि इसकी जनशक्ति को औचित्यपूर्ण करके मानव संसाधन की प्रभावकारिता के अनुकूल बनाया जा सके। समिति को यह भी बताया गया है कि निगम के स्टाफिंग मानदंडों की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा की सिफारिशों कार्यान्वयन के जांच आधीन है। समिति यह भी चाहती है कि उसे उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया जाए। वर्षों से हमेशा बढ़ रहे खाद्य राजसहायता विधेयक पर विचार करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि भारतीय खाद्य निगम को समुचित उपाय करने चाहिए ताकि</p>

		विशेषकर अच्छे शासन के लिए तथा स्टाफिंग मानदंडों हेतु केंद्र की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को देखते हुए संस्थापना लागत को औचित्यपूर्ण किया जाए और इसे और कम किया जा सके।
12.	4.16	<p>समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के बारे में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 30020 मीट्रिक टन थे, लेकिन 2000 मीट्रिक टन के लक्ष्य को 08.02.2022 तक अर्थात् 66.6% प्राप्त कर लिया गया है। वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण 25 करोड़ रुपये था परंतु 08.02.2020 तक उपलब्धि 14.28 करोड़ रुपये अर्थात् 57% बैठती है। पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 26220 मीट्रिक टन था, परंतु इसकी उपलब्धि शून्य थी। वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कम प्रगति के बताए गए कारण, कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है, राज्य सरकारे पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में भूमि पार्सलों की समय पर सुपुर्दगी में सक्षम नहीं है, कठोर मौसम, स्थानीय हस्तक्षेप तथा कानून व्यवस्था तथा कठिन भौगोलिक भूभाग अन्य कारण है। समिति को विश्वास है कि भंडारण की जगह की अपर्याप्तता पूर्वोत्तर के राज्यों में दक्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं जिसकी वजह से यह अलाभकारी स्थिति में ढकेल देते हैं।</p> <p>इसलिए समिति पुरजोर रूप से या सिफारिश करती है कि अब जब कोविड-19 महामारी की स्थिति काफी ठीक हो गई है, भारतीय खाद्य निगम को गोदामों का निर्माण विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्रों</p>

		तथा पूर्वोत्तर से इतर को प्राथमिकता के आधार पर करने के प्रयास बढ़ाने चाहिए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक पहुंचे।
13.	4.22	समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान मार्गस्थ हानिया क्रमशः 257.92 करोड़, 426.85 करोड़ और 295.65 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2021) तक थी। गत वर्ष कीमतों को देखते हुए, मार्गस्थ हानियां 2021-22 के दौरान, दिसंबर, 2021 तक, यह कम होकर 295.65 करोड़ रुपये हो गई थी। हालांकि यह वर्ष 2019-20 की तुलना में 257.92 करोड़ रुपये है जो अभी भी ज्यादा है। समिति महसूस करती है कि ये हानि या अभी भी अधिक है इनमें और अधिक कमी करने की जरूरत है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि गत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, मुख्यालय सतर्कता दस्तों द्वारा की गई नियमित/औचक जांचों की कुल संख्या क्रमशः 76, 31 और 58 है जो संख्या काफी कम है। जुड़ें मार्गस्थ कार्य की उदारता को देखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है तथा औचक निरीक्षण की संख्या तथा को बढ़ाने की जरूरत है। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि भारतीय खाद्य निगम को अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगम की हानि कम हो।
14.	4.27	समिति खाद्यान्नों के बल्क भंडारण का एक उच्च मशीनीकृत तथा वैज्ञानिक तरीके की बल्क संभलाई सुविधाओं के साथ स्टील साइलोज भंडारण को नोट करती है। ये खाद्यान्नों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं और उनके शेल्फ जीवन में बढ़ोतरी करती है।

		<p>समिति यह भी महसूस करती है कि यदि सिलो भंडारण को अंगीकृत किया जाता है तो इससे भंडारण, मार्गस्थ हानि तथा चोरी से होने वाली हानि पारम्परिक गोदामों/वेयर हाउसों में भंडारण की तुलना में कम होगी। साईलोज (मिनारनुमा ढांचा) का संचालन चौबीसों घंटे किया जा सकता है इसलिए इससे समग्र दक्षता में सुधार होगा। समिति को लगता है कि देश भर में प्रापण और खपत स्थलों के समीप छोटे आकार के साईलोज लगाने से भारतीय खाद्य निगम की परिवहन लागत में काफी कमी आएगी क्योंकि इससे अनेकां स्थलों से संचालन से बचने में मदद मिलेगी। समिति को यह भी बताया गया है कि 111-125 एलएमटी गेहूं साईलोज का निर्माण कार्य प्रस्तावित था तथा इसका निर्माण कार्य तीन चरणों में होना था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभाग को मूल्यांकन तथा अनुमोदन हेतु चरण-एक के दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं। समिति प्रस्ताव की स्थिति से अवगत होना चाहती है। इसके अलावा, समिति मंत्रालय से पुरजोर रूप से सिफारिश करती है वह पूरे देश में नियोजित तरीके से हब और स्पोक मॉडल के बारे में साईलोज के नेटवर्क को सृजित करे। समिति आगे यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि ये साईलोज समस्त राज्यों में एक समान रूप से लगाए जाने चाहिए तथा साईलोज को लगाने के स्थलों की पूरी तरह से पहचान भी करनी चाहिए।</p>
15.	5.7	<p>समिति नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष 2017-18 में चीनी के मौसम से, चीनी का उत्पादन घरेलू मांग से अधिक है। वर्ष 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान, चीनी का उत्पादन 270 एलएमटी की मांग की तुलना में 308 एलएमटी है। वर्षों से चीनी उत्पादन में वृद्धि सरकार के प्रयासों तथा गन्ने की उन्नत किस्म के कारण है। समिति आशा करती है कि गन्ने/चीनी का उत्पादन चीनी उत्पादन में चक्रीयता में कटौती के साथ आगामी चीनी मौसम में अतिरिक्त चीनी होने की</p>

		<p>संभावना के कारण है। समिति आशा करती है कि गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण करते समय, गन्ना उत्पादक किसानों के हितों पर भी विचार किया जाता है। इसके अलावा, चीनी का अतिरिक्त स्टॉक चीनी की चल निधि की स्थिति प्रभावित कर रहा है। चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या पर काबू पाने के लिए, सरकार ने गन्ने से इथेनॉल का उत्पादन, बी-हैवी शीरा, चीनी और चीनी का रस चीनी जिलों की चल निधि में सुधार हो सके और वे लोग अपने गन्ने बकाया को दे सके। समिति आशा करती है कि विभाग गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाएगा तथा गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य समय से घोषित किया जा सके और आगामी वर्षों के गन्ने की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके।</p>
16.	5.18	<p>समिति नोट करती है कि सरकार अतिरिक्त चीनी को डायवर्ट करके इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर 01.04.2019 पूरे देश में ईबीपी का विस्तार किया गया है। इस जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 2022 तक ईबीपी के तहत मिश्रण लक्ष्य को 5% से बढ़ाकर 10% और 2025 तक 20% कर दिया है। सरकार ने बी-भारी शीरा, गन्ने के रस, चीनी सिरप और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन की भी अनुमति दी है। समिति को यह भी बताया गया है कि वर्ष 2017-18 से चीनी का उत्पादन सरप्लस में हो रहा है और यह देश में मांग की तुलना में काफी अधिक है। चीनी का अतिरिक्त स्टॉक चीनी की कीमतों को कम कर रहा है जिससे चीनी मिलों की चल निधि की स्थिति प्रभावित हो रही है। जैसे, चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने गन्ने के रस, बी-हाई शीरा, चीनी और चीनी सिरप से इथेनॉल के उत्पादन की भी अनुमति दी है और सी-हेवी @ 46.66 रुपए प्रति</p>

		<p>लीटर से प्राप्त निकाले गए इथेनॉल का लाभकारी एक्स-मिल मूल्य निर्धारित किया है।, बी-हैवी शीरा/आंशिक गन्ने का रस @ 59.08/लीटर, 100% गन्ने का रस/सिरप/चीनी @ 63.45 रुपये प्रति लीटर और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न/मक्का 52.92 रुपए प्रति लीटर चीनी मिलों की चल नीति में सुधार करने के लिए, ताकि वे अपना गन्ना बकाया चुका सकें। समिति इथेनॉल सम्मिश्रण की दिशा में सरकार के बहुमुखी प्रयासों की सराहना करते हुए, विभाग को चीनी मिलों के लिए चीनी के कुछ हिस्से को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए चीनी का उच्च उत्पादन करने के अनिवार्य बनाने के बारे में सोचने की जोरदार सिफारिश की है इस कदम से न केवल राजस्व उत्पन्न होगा जिसके बल्कि गन्ना मूल्य बकाया भी कम होगा अंततः रोजगार भी पैदा होगा।</p>
17.	5.22	<p>समिति नोट करती है कि कुल 16612 करोड़ रुपए गन्ना बकाया है। यद्यपि, गन्ना मूल्य बकाया काफी कम हो गया है लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक है। समिति यह नोट करके हैरान है कि किसान द्वारा गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान करने के प्रावधानों के बावजूद, यह शायद ही कभी किया जाता है। चीनी सीजन 2016-17 और उससे पहले का गन्ना मूल्य बकाया अभी भी बकाया है और गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के प्रावधानों के अनुसार 15% की दर से ब्याज सहित गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिए चीनी मिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समिति महसूस करती है कि समय पर गन्ना बकाया का भुगतान न करना हतोत्साहित करने वाला हो सकता है और किसानों को गन्ना उगाने से रोक सकता है और उन्हें अन्य फसलों को उगाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। समिति महसूस करती है कि लाभकारी कीमतों पर तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल की बिक्री से चीनी मिलों की</p>

		<p>चल निधि में वृद्धि हुई है। इससे चीनी मिलों की ओर से किसानों का बकाया जल्द से जल्द चुकाना और भी जरूरी हो गया है। समिति महसूस करती है कि किसानों को उनकी कृषि उपज की डिलीवरी के तुरंत बाद लाभकारी मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता है। इसलिए, वे विभाग को सभी बकाया को समाप्त करने और किसानों का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिलों पर दबाव डालकर उचित उपाय करने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई कार्य योजना/विशिष्ट कदमों से अवगत होना चाहेगी।</p>
18.	5.23	<p>समिति यह भी नोट करती है कि देश में स्थापित 756 चीनी मिलों में से 506 चीनी मिलें चालू हैं और 250 चीनी इकाइयाँ वित्तीय संकट, कच्चे माल की अनुपलब्धता और अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी, आदि सहित विभिन्न कारणों से संचालित नहीं हो रही थीं। गन्ना बकाया की बड़ी बकाया राशि के साथ-साथ न चल रही चीनी मिलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, समिति रूग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए उन्हें पूंजीगत सहायता, आसान और सस्ते ऋण आदि प्रदान करके एक व्यापक नीति तैयार करने की सिफारिश करती है, जो बदले में, अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करेगा और इस प्रकार गन्ना मूल्य बकाया के तेजी से समाशोधन का मार्ग प्रशस्त करेगा। समिति का यह भी विचार है कि रूग्ण चीनी इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करते समय, ऐसी इकाइयों को आंशिक इथेनॉल उत्पादन के साथ जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कारकों का भी पता लगाया जा सकता है।</p>

